श्रम संगम

वर्ष: 6, अंक: 2

जुलाई–दिसम्बर 2020

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

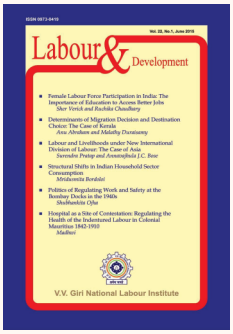

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

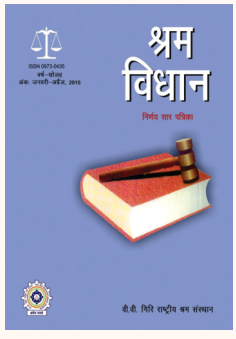

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

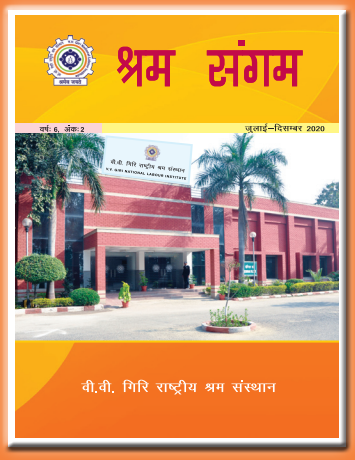

मुख्य संरक्षक
डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 6, अंक: 2, जुलाई-दिसम्बर 2020

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से	2
❍	मदर टेरेसा: महान एवं लब्धप्रतिष्ठ समाजसेवी – डॉ. संजय उपाध्याय	3
❍	भारत में गैर-कृषिगत क्षेत्र के नियमित रोजगार की बढ़ती अनियमितता एवं असुरक्षा: एन.एस.एस.ओ. द्वारा प्राप्त आँकड़ों से साक्ष्य – डॉ. मनोज जाटव	5
❍	राजभाषा सम्मान	7
❍	नए कृषि कानूनों से क्रांतिकारी बदलाव संभव – राजेश कुमार कर्ण	8
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2020 का आयोजन	15
❍	ऐ मेरे वतन के लोगो (कविता)– कवि प्रदीप	16
❍	लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और विकृत होता विरोध – बीरेंद्र सिंह रावत	17
❍	क्योंकि आज भी टूटा तारा निहारती हूँ मैं (कविता) – प्रियंका स्वामी	22
❍	भारत के समग्र विकास के लिए बढ़ते कदम – राजेश कुमार कर्ण	23
❍	आकाशदीप (कहानी) – जयशंकर प्रसाद	31
❍	कोरोना काल के श्वेत एवं स्याह पहलू – नीरज शर्मा	35
❍	ऐ जिंदगी बता, ये समय का कौन सा कहर है? (कविता) – रुचिका चौहान	38
❍	जीना इसी का नाम है: पद्मश्री लक्ष्मी बरुआ	39
❍	भारतीय चिकित्सा एवं संस्कृति के आगे कोरोना नतमस्तक – राजेश कुमार कर्ण	40
❍	नियति का खेल (कविता) – बीरेंद्र सिंह रावत	44

महानिदेशक की कलम से...

हमारा देश विविध भाषाओं, बोलियों एवं संस्कृतियों का देश है, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही देश के सभी भाषा–भाषियों के मध्य भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम हिंदी रही है। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है और इसमें उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना बड़ा सरल है। हिंदी में जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है और इसे लिखने के लिए सदियों से एक ऐसी अक्षरात्मक प्रणाली विकसित हो गई है जिसे भाषा वैज्ञानिक विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानते हैं। हिंदी भाषा की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया और राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार हेतु संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में समुचित प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार 'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके.....।' तदुनसार, देश और समाज के व्यापक हित में राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी हम सबकी है।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा संबंधी निदेशों का अनुपालन करने के साथ ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के विभिन्न कार्यकलापों में भी सदैव पूरी सक्रियता के साथ सहयोग करता रहता है। वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों की बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसायटी श्रेणी के तहत 'क' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

श्रम संगम' पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

एच श्रीनिवास

(डॉ. एच. श्रीनिवास)

मदर टेरेसाः महान एवं लब्धप्रतिष्ठ समाजसेवी

डॉ. संजय उपाध्याय*

दुनिया में अधिकांश लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं पर मानव इतिहास में ऐसे भी अनगिनत मनुष्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में एक हैं जो मूलतः दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा के नाम का स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है। वह एक ऐसी महान आत्मा थीं जिनका हृदय संसार के तमाम दीन–दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था और इसी के चलते उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन उनकी सेवा और भलाई में अर्पित कर दिया।

मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे (अब मसेदोनिया में) में हुआ था। उनके पिता निकोला बोयाजिजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम 'अगनेस गोंझा बोयाजिजू' था। अलबेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थीं जिन्होंने छोटी–सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। जब वह मात्र आठ साल की थीं तभी उनके पिता परलोक सिधार गए थे, जिसके बाद उनके लालन–पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बोयाजिजू पर आ गयी थी। वह पांच भाई–बहनों में सबसे छोटी थीं। वह एक अत्यंत अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थीं। पढाई के साथ–साथ उनकी संगीत में भी रूचि थी तथा गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिकाएं थीं। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र बारह साल की थीं तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने 'सिस्टर्स ऑफ लोरेटो' में शामिल होने का फैसला कर लिया था। तत्पश्चात वह आयरलैंड गयीं जहाँ उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना उनके लिए इसलिए भी जरुरी था क्योंकि 'लोरेटो' की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थीं।

सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 06 जनवरी 1929 को कोलकाता स्थित 'लोरेटो कॉन्वेंट' पहुंचीं। वह एक अनुशासित शिक्षिका थीं और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्ष 1944 में वह इस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बन गईं। यद्यपि अब तक उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था परंतु उनके आस–पास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत विचलित और दुखी करती थी। वर्ष 1943 के बंगाल अकाल के दौरान कलकत्ता शहर में भी बड़ी संख्या में मौतें हुईं और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। वर्ष 1946 के हिन्दू–मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भी अधिक भयावह बना दी थी।

वर्ष 1946 आते–आते उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवनपर्यंत मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद उन्होंने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कलकत्ता आ गईं और वहां से पहली बार तालतला गईं, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहीं। वहां उन्होंने अपना अधिकांश समय मरीजों को दवाइयां देने उनके घावों को धोने, उनकी मरहमपट्टी करने और अन्य अनेक प्रकार से उनकी सेवा–सुश्रूषा में व्यतीत किया। धीरे–धीरे उनकी सेवा और समर्पण से समाज और लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। इन लोगों में देश के अनेक गणमान्य व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की।

मदर टेरेसा के इस कार्य में शुरूआती दौर बहुत कठिन था। वह लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल छोड़ चुकी थीं इसलिए उनके पास नियमित आमदनी का कोई जरिया नहीं रह गया था तथा उनको अपने भरण–पोषण के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। जीवन के इस अत्यंत संघर्षमय एवं महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल–पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख–सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

07 अक्टूबर 1950 को उन्हें वैटिकन से 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की स्थापना की अनुमति मिल गयी। इस संस्था का

*वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े–लूले, अंधों, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' का आरम्भ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था और मदर टेरेसा की मृत्यु के समय (1997) 4 हजार से भी ज्यादा 'सिस्टर्स' विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थीं और असहाय, बेसहारा, शरणार्थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही थीं।

मदर टेरेसा ने 'निर्मल हृदय' और 'निर्मला शिशु भवन' के नाम से आश्रम खोले। 'निर्मल हृदय' का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की सेवा करना था। 'निर्मला शिशु भवन' की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए की गई थी।

सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता, यह कहावत मदर टेरेसा के साथ पूरी तौर पर सच साबित हुई। जब वह भारत आईं, तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आँखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वे उनसे मुँह मोड़ने का साहस नहीं जुटा सकीं। इसके पश्चात उन्होंने जनसेवा का जो व्रत लिया, उसका पालन वे जीवनपर्यंत, अनवरत रूप से करती रहीं।

मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1962 में 'पद्मश्री', और वर्ष 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' (1980) से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में 'मेडल आफ फ्रीडम 1985' सम्मान से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किये गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में 'नोबेल शांति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की 192,000 डॉलर की धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। वर्ष 1988 में उन्हें ब्रिटेन द्वारा 'आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' से सम्मानित किया गया। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया।

बढ़ती उम्र के साथ–साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। इसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। वर्ष 1991 में उनके मैक्सिको में प्रवास के दौरान न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गयी। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती गई। 13 मार्च 1997 को उन्होंने 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' के मुखिया का पद त्याग दिया और 05 सितम्बर 1997 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पोप जॉन पाल द्वितीय द्वारा 19 अक्टूबर 2003 को रोम में उनका बीटिफिकेशन करते हुए उन्हें "धन्य आत्मा" घोषित किया। उन्होंने मानव जाति की जीवन पर्यंत सेवा की जो मिसाल कायम की वह अत्यंत ही अनुकरणीय और प्रेरणादायी है और यही कारण है कि विभिन्न अवसरों और विभिन्न संदर्भों में व्यक्त उनके विचार आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं।
- यदि आप एक सौ लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं, तो कम से कम एक को ही करवाएं।
- यदि आप प्रेम संदेश सुनना चाहते हैं तो पहले उसे खुद भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है।
- अपने करीबी लोगों की देख–भाल कर आप प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं।
- अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है।
- प्रेम हर मौसम में होने वाला फल है, और हर व्यक्ति की पहुंच के अन्दर है।
- आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है।
- प्रेम की भूख को मिटाना, रोटी की भूख मिटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल और महत्वपूर्ण है।
- अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है।
- सादगी से जिएं ताकि दूसरे भी जी सकें।
- हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते लेकिन हम कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं।
- हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं।
- यह महत्वपूर्ण नहीं है आपने किसको कितना दिया, बल्कि यह है कि आपने देते समय कितने प्रेम से दिया।
- खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं।
- दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन वास्तव में उनकी गूँज अनंत होती है।
- हम अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या हम अपने पड़ोसी को जानते हैं?
- कुछ लोग हमारी जिन्दगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ लोग एक सबक की तरह।

भारत में गैर–कृषिगत क्षेत्र के नियमित रोजगार की बढ़ती अनियमितता एवं असुरक्षाः एन.एस.एस.ओ. द्वारा प्राप्त आँकड़ों से साक्ष्य

डॉ. मनोज जाटव*

भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार की प्रकृति में बदलाव आया है। यह एक ऐसी अवधि थी जिसमें अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में रोजगार का अनौपचारीकरण हुआ। हालाँकि आँकड़ों से ज्ञात होता है कि गत वर्षों में भारत में अनौपचारिक रोजगार के प्रतिशत में कमी आयी है (तालिका 1), तथापि इसी अवधि में रोजगार के असुरक्षित रूपों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह लेख उन्हीं असुरक्षाओं पर प्रकाश डालता है और असुरक्षा की प्रकृति को सही मायने में समझने का प्रयास करता है। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अनौपचारिक रोजगार वह रोजगार है जिसमें श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार के वैधानिक, सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। कुल नियमित रोजगार में अनौपचारिक श्रमिकों के घटते प्रतिशत का आशय यह नहीं कि श्रमिक सही मायने में सुरक्षित रोजगार में नियोजित हैं, अपितु आँकड़े कुछ और ही बयाँ करते हैं।

तालिका 1: औपचारिक क्षेत्र के कुल रोजगार में अनौपचारिक रोजगार का प्रतिशत

वर्ष	अनौपचारिक श्रमिक (मिलियन)	अनौपचारिक श्रमिक (%)	कुल श्रमिक (मिलियन)
2017–18	51.6	52.8	97.8
2018–19	49.9	50.2	99.5

स्रोतः वार्षिक अनुमान, आवधिक श्रम–बल सर्वेक्षण

नवीनतम आँकड़ों के अनुसार (तालिका 2), गैर–कृषिगत क्षेत्र के कुल रोजगार में नियमित वेतनभोगियों का प्रतिशत लगभग 40 प्रतिशत है, जोकि अगड़ी जातियों के व्यक्तियों, महिलाओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में अपेक्षाकृत अधिक, क्रमशः 48.7 प्रतिशत, 47.9 प्रतिशत व 38.1 प्रतिशत पाया गया है। कुल गैर–कृषिगत क्षेत्र के रोजगार में स्व–नियोजित स्वयं कार्यरत श्रमिकों का हिस्सा लगभग 29 प्रतिशत है, परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के व्यक्तियों के बीच यह हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत कम, क्रमशः लगभग 20 प्रतिशत व 23 प्रतिशत दर्ज किया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों में कुल रोजगार में अनियत/ आकस्मिक श्रमिकों का सर्वाधिक हिस्सा देखने को मिलता है जहाँ श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त, ज्यादातर ऐसे श्रमिकों का नियोक्ता के साथ कोई भी लिखित अनुबंध नहीं रहता।

दूसरी ओर, कुल गैर–कृषिगत क्षेत्र के रोजगार मे स्व–नियोजित स्वयं खाता श्रमिक, जो अपने उद्यम में अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, का हिस्सा अत्यंत न्यून है, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समूहों के परिवारों के बीच ऐसा अधिक देखने को मिला है। यह गैर–कृषिगत क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त और प्रभावी वातावरण बनाने की आवश्यकता की ओर इंगित करता है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सके।

तालिका 2: भारत में सामान्य रोजगार स्थिति द्वारा गैर–कृषिगत श्रमिकों (आयु 18 या अधिक) का प्रतिशत वितरण, 2018–19

रोजगार का स्तर	पुरुष	महिला	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अगड़ी जातियाँ	कुल
स्व–नियोजितः स्वयं कार्यरत	30.1	26.2	19.6	23.3	31.7	32.0	29.3
स्व–नियोजितः स्वयं कार्यरत और नियोक्ता	2.9	0.7	0.5	1.0	2.4	3.9	2.5
अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक	3.0	8.4	2.6	2.2	4.9	4.3	4.0

* एसोसिएट फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

रोजगार का स्तर	पुरुष	महिला	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अगड़ी जातियाँ	कुल
नियमित वेतनभोगी	38.8	47.9	35.4	34.8	38.1	48.7	40.5
अनियत श्रमिक: लोक निर्माण कार्य	0.4	6.2	1.8	2.4	1.8	0.5	1.5
अनियत श्रमिक: अन्य	24.8	10.7	40.1	36.3	21.1	10.7	22.1
कुल (%)	100	100	100	100	100	100	100
कुल (मिलियन)	223.8	52.3	17.3	56.0	117.8	85.0	276.1

स्रोत: वार्षिक अनुमान, आवधिक श्रम–बल सर्वेक्षण

तालिका 3: भारत में गैर–कृषिगत क्षेत्र में नियमित श्रमिकों का वितरण (आयु 18 या अधिक)

लिंग / जाति–समूह	कुल (मिलियन)				कुल गैर–कृषिगत रोजगार में नियमित श्रमिकों का प्रतिशत			
	2004–05	2011–12	2017–18	2018–19	2004–05	2011–12	2017–18	2018–19
पुरुष	48.9	65.5	81.4	86.9	33.9	34.7	38.3	38.8
महिला	11.6	15.8	22.0	25.0	31.5	33.6	47.5	47.9
अनुसूचित जनजाति	2.5	3.9	6.0	6.1	28.1	28.2	37.6	35.4
अनुसूचित जाति	10.3	13.4	17.8	19.5	30.5	29.8	34.8	34.8
अन्य पिछड़ा वर्ग	20.9	31.1	40.7	44.9	29.2	31.5	37.0	38.1
अगड़ी जातियाँ	26.8	32.8	38.9	41.4	40.1	42.3	47.8	48.7
कुल	60.5	81.3	103.5	111.9	33.4	34.5	40.0	40.5

स्रोत: विभिन्न दौर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

यदि गैर–कृषिगत क्षेत्र के रोजगार का जाति समूह के आधार पर एवं लिंगानुसार विश्लेषण किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि नियमित रोजगार का गैर–कृषिगत रोजगार में अधिकतम हिस्सा अगड़ी जातियों एवं महिलाओं को प्राप्त है (तालिका 3)। इसका वर्षवार विश्लेषण दर्शाता है कि गैर–कृषिगत क्षेत्र में वर्ष 2004–05 से 2018–19 के बीच सभी लिंगों एवं जातीय समुदायों के श्रमिकों में नियमित रोजगार का प्रतिशत बढ़ा है और विशेष रूप से अगड़ी जातियों (2004–05 में 40.1 प्रतिशत से 2018–19 में 48.7 प्रतिशत) और महिलाओं (2004–05 में 31.5 प्रतिशत से 2018–19 में 47.9 प्रतिशत) के मध्य यह बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिली है। इसके विपरीत, इस बढ़ोतरी का न्यूनतम स्तर अनुसूचित जातियों (2004–05 में 30.5 प्रतिशत से 2018–19 में 34.8 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों (2004–05 में 28.1 प्रतिशत से 2018–19 में 35.4 प्रतिशत) में दिखाई दिया है। गत वर्ष (2018–19) यह बढ़ोतरी अनुसूचित जनजातियों में नकारात्मक रही जबकि अनुसूचित जातियों में भी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

चित्र 1: भारत में गैर–कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत कुल नियमित रोजगार में ऐसे श्रमिकों का प्रतिशत जिनका नियोक्ता के साथ कोई लिखित अनुबंध नहीं

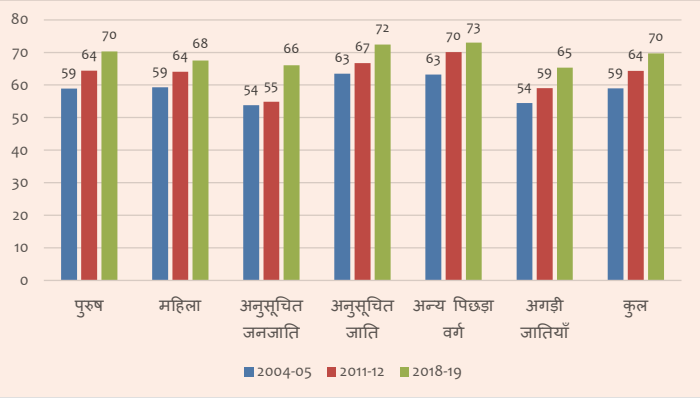

स्रोत: विभिन्न दौर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

गैर–कृषिगत क्षेत्र के नियमित रोजगार की अनियमितताएं एवं असुरक्षा की झलक श्रमिकों के साथ नियोक्ता द्वारा किये गए अनुबंधों में दिखाई पड़ती हैं। चित्र 1 इसे भलीभांति दर्शाता है। वर्ष 2004–05 से 2018–19 के बीच सभी लिंगों एवं जातीय समुदायों के श्रमिकों में नियमित रोजगार में ऐसे श्रमिकों का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है जिनका नियोक्ता के साथ कोई भी औपचारिक या लिखित अनुबंध नहीं है। वर्ष 2018–19 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में ऐसे श्रमिकों का प्रतिशत अधिकतम पाया गया जबकि अगड़ी जाति समुदाय के श्रमिकों में यह प्रतिशत न्यूनतम पाया गया।

चित्र 2: भारत में गैर–कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत कुल नियमित रोजगार में ऐसे श्रमिकों का प्रतिशत जिनका नियोक्ता के साथ 3 वर्षों तक का अनुबंध है

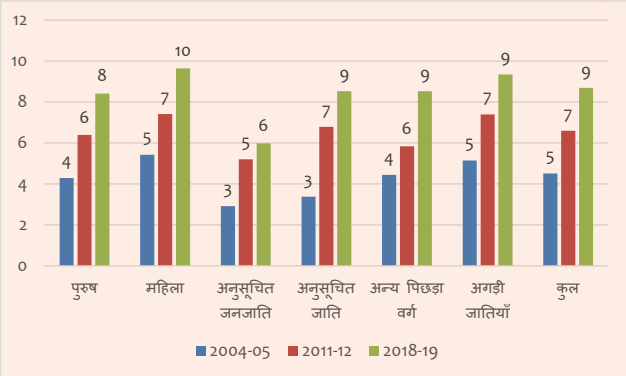

स्रोतः विभिन्न दौर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

चित्र 3: भारत में गैर–कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत कुल नियमित रोजगार में ऐसे श्रमिकों का प्रतिशत जिनका नियोक्ता के साथ 3 वर्षों से ज्यादा अवधि का अनुबंध है

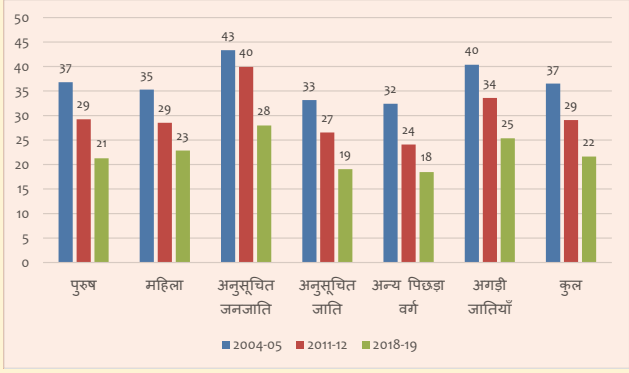

स्रोतः विभिन्न दौर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

साथ ही, इसी पैटर्न (लिंगवार और जाति–समूहवार) में लघु एवं मध्यम आवधिक अनुबंधों (क्रमशः 1 से 3 वर्षों तक) वाले श्रमिकों के प्रतिशत में भी वर्ष 2005–05 से 2018–19 के बीच उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जोकि समस्या की बढ़ती हुई गंभीर स्थिति की ओर इंगित करता है (चित्र 2)। प्रतिलोमतः, इसके विपरीत, इसी पैटर्न (लिंगवार और जाति–समूहवार) में वर्ष 2005–05 से 2018–19 के बीच कुल नियमित रोजगार में ऐसे श्रमिकों, जिनका नियोक्ता के साथ 3 वर्षों से ज्यादा अवधि का अनुबंध है, का हिस्सा निरंतर घटता प्रतीत होता है (चित्र 3)। यह ऐसे श्रमिक होते हैं जिनका रोजगार प्रायः स्थायी प्रकृति का होता है और इन्हें अधिकांशतः सभी प्रकार के वैधानिक, सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं। दुर्भाग्यवश, इस प्रकार के स्थायी रोजगार में निरंतर कमी आना न केवल उत्कृष्ट श्रम की बढ़ती अनुपलब्धता अपितु श्रमिकों, उनके रोजगारों और उनके आश्रितों की घटती सुरक्षा की ओर भी इंगित करता है। सही मायने में, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया ने गैर–कृषि क्षेत्र में श्रमिकों, विशेषतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के श्रमिकों, की कमजोरियों और संकटों को बढ़ा दिया है।

उपरोक्त आंकड़ों के मद्देनजर यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि i) सवेतन रोजगार को नियमित करने के साथ–साथ श्रमिकों को उन सभी वैधानिक सामाजिक सुरक्षाओं, जिनके वे हकदार हैं, के लाभ प्रदान किए जाएं, ii) सभी असुरक्षित श्रमिकों के लिए रोजगार की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, और iii) गैर–कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत केवल "कुल रोजगार में अनौपचारिक नियमित रोजगार के आकार व प्रतिशत को कैसे कम किया जाए" पर ध्यान न देकर "रोजगार की असुरक्षा को कैसे कम किया जाए" जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया जाए। यह श्रम ठेकेदारों की भूमिका को न्यूनतम–संभव स्तर तक लाकर और प्रतिष्ठान/उद्यम स्तर पर एक सीधी भर्ती की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर किया जा सकता है। साथ ही, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुरक्षा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए श्रम प्रवर्तन प्रणाली को बहुत ही असरदार बनाने की आवश्यकता है ताकि नए श्रम कानूनों का अधिकाधिक लाभ श्रमिकों तक पहुँचाया जा सके।

राजभाषा सम्मान

वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों की बोर्ड/स्वायत्त/निकाय/ट्रस्ट/ सोसायटी श्रेणी के तहत 'क' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर वितरित किए जाएंगे क्योंकि देश में वर्तमान कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 2020 में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस समारोह आयोजित नहीं किया जा सका।

नए कृषि कानूनों से क्रांतिकारी बदलाव संभव

राजेश कुमार कर्ण*

भारत को वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए गांव–गरीब–किसान की जिंदगी में खुशहाली तथा विकास की नई सुबह का प्रस्फुटन आवश्यक है। केन्द्र सरकार गांव–देहात, खेत–खलिहान और किसानों–मजदूरों के घरों में विकास की ऐसी रोशनी पहुंचाने के लिए 'अहर्निशं सेवामहे' अर्थात दिन–रात सेवा संकल्प के साथ काम कर रही है। कृषि हमारे देश की आत्मा है। कृषि ही हमारी संस्कृति एवं परंपरा का आधार है। हमारे त्योहार, रीति–रिवाज, खानपान, रहन–सहन और उपासना पद्धतियों की जड़ें भी गांव–देहात तथा खेतों में ही समाई हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पिछले छह वर्षों के दौरान खेती और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए तीन कृषि कानून भी इन्हीं प्रयासों का हिस्सा हैं जो किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। सरकार का प्रयास है कि किसान समृद्ध, खुशहाल और प्रतिस्पर्धी बनें। किसान अन्नदाता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के निर्माता और लोकतंत्र के सशक्त आधार भी हैं। इसलिए आवश्यक है कि किसान देश के विकास में साझेदार बनकर भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करें। इसके लिए जरूरी है कि आर्थिक सुधारों की तरह कृषि क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हों और किसान नई प्रौद्योगिकी और नॉलेज हार्वेस्टिंग के साथ उत्पादक एवं मार्केट प्लेयर भी बनें।

आजादी के समय देश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान लगभग 50% था जो अब घटकर 20% से नीचे आ गया है। यदि कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार पहले ही हो गए होते तो आज किसानों की स्थिति कहीं बेहतर होती। तीस वर्ष पहले हुए आर्थिक सुधारों से उद्योग जगत की नैया तो पार लगा दी गई, लेकिन कृषि क्षेत्र को अनदेखा कर दिया गया। किसानों के लिए अपनी उपज सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन एजेंट यानी आढ़तियों के जरिये सरकारी मंडी में बेचना ही अनिवार्य था। उसमें आढ़ती अक्सर थोक विक्रेताओं या बिचौलियों के साथ साठगांठ कर किसानों को न केवल उनकी उपज के उचित मूल्य से वंचित करते, बल्कि उनसे उस सेवा के बदले में कमीशन भी वसूल लिया करते जो सेवा वे उपलब्ध ही नहीं कराते थे। मंडियों में भंडारण की खस्ताहाल व्यवस्था से भी किसानों की उपज का कुछ भाग खराब होती रही है। इसका नुकसान भी किसान ही उठाते हैं। किसान इस उत्पीड़न से बच इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि कानूनन उन्हें अपनी उपज केवल संबंधित मंडी में ही बेचनी पड़ती थी। ऐसी परिस्थिति में किसानों को आढ़तियों–बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराना जरूरी ही नहीं, बल्कि अनिवार्य था। मोदी सरकार ने इस उद्देश्य से ही हाल में तीन कृषि कानून बनाए हैं। इन कानूनों का मकसद किसानों को बाजार से जोड़कर सशक्त एवं समृद्ध करना है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मंडी समितियों पर भी कोई आंच नहीं आएगी।

पहला कृषि कानून 'किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020' है। इस अधिनियम में व्यापार क्षेत्र को परिभाषित कर वहां कृषि उपज के निर्बाध व्यापार पर पूरी छूट दी गई है। किसानों को स्थानीय कृषि उत्पाद विपणन समितियों यानी एपीएमसी से इतर अपनी उपज बेचने की पूरी आजादी दी गई है। मंडी परिषद के अधिसूचित परिसर के बाहर कोई शुल्क या सेस नहीं लग सकेगा। यह सुधार किसानों को उपज बेचने हेतु विकल्प दिलाने के लिए किया गया है। अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धांत है कि जब विक्रेता को उत्पाद बेचने के ज्यादा विकल्प मिलते हैं तो उससे विक्रेता को ही लाभ होता है। इस अधिनियम की एक धारा के अनुसार किसानों के साथ लेनदेन करने वाले व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवसों में किसान को हर हाल में भुगतान करना होगा। क्रेता के पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल की गई है। क्रय–विक्रय में विवाद की स्थिति में उप जिलाधिकारी के स्तर पर निस्तारण और जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी के स्तर पर अपील का प्रावधान है।

दूसरा कृषि कानून 'मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाएं अधिनियम, 2020' है। यह कानून अनुबंधित कृषि के लिए विधिक आधार देता है। अनुबंधित कृषि कई राज्यों में पहले से संचालित है। उसी व्यवस्था को और बल देने तथा विस्तारित करने हेतु इसमें प्रावधान किए गए हैं। यह

* आशुलिपिक सहायक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

किसानों के लिए बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ वैकल्पिक है। किसान इसे लाभकारी समझें तो अनुबंध खेती का विकल्प चुनें, लाभकारी न लगे तो अनुबंध से कभी भी बाहर आ सकते हैं। इसके तहत किसान अपने उत्पाद को पूर्व निर्धारित प्रीमियम मूल्य पर किसी खाद्य प्रसंस्करण कंपनी या निर्यातक को सीधे बेच सकते हैं। इसकी धारा 3(1) के अनुसार किसान अपनी उपज का अधिकतम पांच वर्षों के लिए लिखित अनुबंध कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 5 में व्यवस्था है कि अनुबंध की शर्तों में गारंटी मूल्य निर्धारित होगा। कटाई के समय बाजार में उपज का मूल्य बढ़ने पर बढ़े हुए मूल्य पर क्रय–विक्रय की भी व्यवस्था की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इससे किसानों का ही आर्थिक हित सुरक्षित होगा। इसकी धारा 6(3) में स्पष्ट है कि उपज की आपूर्ति स्वीकार करते समय ही भुगतान किया जाना है। धारा 8 में यह भी प्रावधान है कि कोई भी कृषि अनुबंध भूमि की बिक्री, लीज या बंधक बनाने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकेगा। अर्थात अनुबंध सिर्फ कृषि उपज के संबंध में ही होगा। इसलिए यह आशंका निराधार है कि इस अधिनियम के लागू होने पर किसानों की भूमि से बेदखली की जा सकती है। अधिनियम में यह प्रतिबंधित है।

तीसरा कृषि कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन से जुड़ा है। इसमें प्रावधान है कि खाद्य उत्पादों की आपूर्ति केवल असाधारण परिस्थितियों– युद्ध, अकाल, भारी मूल्य वृद्धि और विकराल प्राकृतिक आपदाओं में ही नियंत्रित की जाएगी। आपूर्ति श्रृंखला बेहतर होने से उपभोक्ताओं का भी भला होगा। साथ ही इससे भंडारण के मोर्चे पर निवेश बढ़ेगा जो निर्यात केंद्रित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे किसानों के उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। देखा जाए तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके दलहन, तिलहन, आलू और प्याज को नियंत्रण मुक्त किया गया है। केंद्र सरकार युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि या गंभीर आपदाओं की स्थिति में इन उपजों को नियंत्रित भी कर सकती है। कानून की धारा 3(1) में व्यवस्था है कि औद्योगिक उत्पाद में सौ प्रतिशत मूल्य वृद्धि और अन्य उत्पादों में 50 प्रतिशत मूल्य वृद्धि होने पर केंद्र सरकार स्टॉक लिमिट निर्धारित कर उपभोक्ता हितों की रक्षा कर सकेगी। यह लिमिट खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर लागू नहीं होगी, बशर्ते वे प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक कच्चा माल भंडारित कर रही हों। इसमें किसानों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा गया है। जमाखोरी या मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के अधिकार सरकार के पास पूर्ववत सुरक्षित हैं।

वर्षों से देश के प्रगतिशील किसान, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग कर रहे थे। अर्थशास्त्री एक अर्से से यह कहते आ रहे हैं कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराने और उन्हें मुक्त बाजार से जोड़ने की जरूरत है। मोदी जी ने दशकों से की जा रही सुधारों की मांग को तीन नए कृषि कानून बनाकर पूरा किया। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन में खुशहाली आएगी। अपनी कृषि उपज को बेचने के लिए निजी क्षेत्र के रूप में एक विकल्प देना किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों वर्गों के हितों की पूर्ति करेगा। इन तीनों कृषि कानूनों में विवाद निस्तारण तंत्र की भी समुचित व्यवस्था है।

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का किसानों के एक वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है। इन किसानों के मन में शंका है कि नए कृषि कानूनों से उनकी आमदनी खतरे में पड़ सकती है। उनके मन में शंका है कि एमएसपी पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी। यह बात कानून में कहां लिखी है? जब तक देश में खाद्य सुरक्षा काननू लागू है और जन वितरण प्रणाली की दुकानें चल रही हैं तब तक एमएसपी पर सरकारी खरीद बंद नहीं हो सकती है।

यह स्थिति तब है जब प्रधानमंत्री बारंबार भरोसा दिला चुके हैं कि न तो एमएसपी व्यवस्था समाप्त होने जा रही है और न ही मंडी व्यवस्था। इससे किसानों को आश्वस्त होना चाहिए लेकिन वे उलटे आक्रोशित हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इन किसानों का भ्रम और बढ़ा रहे हैं।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत (2018–19) का डेढ़ गुणा बढ़ाने की सिफारिश स्वीकार की और तदनुसार बढ़ोतरी की। वास्तव में अब किसानों के पास एमएसपी के अतिरिक्त भी उपज बेचने के कई विकल्प होंगे। मोदी सरकार एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है। अब 2014 की तुलना में गेहूं की एमएसपी 41%, धान की 43%, मसूर की 73%, उड़द की 40%, मूंग की 60%, अरहर की 40%, सरसों की 52%, चने की 65% और मूंगफली की 32% ज्यादा हो गई है।

वर्ष 2014 से पहले देश में दालों का संकट था, लेकिन किसान हितैषी मोदी जी ने नीतियों में बदलाव कर किसानों को दाल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके परिणामस्वरूप दाल का उत्पादन बढ़ा और सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन–2 सरकार की डेढ़ लाख मीट्रिक टन खरीद की तुलना में 112 लाख मीट्रिक टन दालें एमएसपी पर खरीदीं। मोदी सरकार ने कृषि उत्पादों की खरीद पर बड़ी राशि खर्च की है। वर्ष 2013–14 में गेहूं की खरीद पर जहां सिर्फ 33.8 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं वर्ष 2020–21 में 75.06 हजार करोड़ रुपए गेहूं की खरीद में लगाए गए, जिसका लाभ 43.36 लाख किसानों को मिल चुका है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार किस सीमा तक किसानों के प्रति संवेदनशील है। इस बार के बजट के अनुसार सरकार धान खरीद पर 172.7 हजार करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सरकार ने न सिर्फ गेहूं व धान बल्कि दलहन व अन्य अनाजों के साथ–साथ कपास की खरीद के लिए बड़ी राशि का आबंटन किया है।

यह भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि एपीएमसी यानी मंडिया समाप्त हो जाएंगी जबकि मोदी सरकार ने कई बार यह आश्वासन दिया है कि मंडियां रहेंगी। किसान को जहां उपयुक्त कीमत मिले वह वहां अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। एपीएमसी से जुड़े कानून में संशोधन समय की मांग है। आप देश की किसी भी मंडी में जाकर देख सकते हैं कि कैसे पल भर में किसानों की उपज का मनमाने दामों पर सौदा हो जाता है। इससे कमीशन एजेंटों को तो बढ़िया फायदा मिल जाता है, लेकिन किसान अपेक्षित लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में नए कृषि कानून ने एपीएमसी के साथ ही किसानों को अन्य विकल्प भी दिए हैं। अब यह किसान पर निर्भर है कि उसे मंडी या उससे बाहर जहां आकर्षक कीमत मिले वहां अपनी उपज बेचे। इसमें बिचौलिए क्यों बीच में आएं? इससे उन्हें बेहतर दाम मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। किसान एफपीओ के माध्यम से राज्य या राज्य के बाहर सीधे फर्मों या उत्पादन इकाइयों को भी अपनी उपज बेच सकते हैं। मंडी शुल्क से मुक्ति मिलने की स्थिति में किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। उद्यमी और किसान के बीच सौदा आपसी सहमति से ही होगा। कोई व्यापारी किसी भी प्रकार से किसान पर दबाव नहीं बना सकता है। निजी क्षेत्र से मुकाबला करने के लिए मंडियां भी अपनी क्षमता बेहतर करने का प्रयास करेंगी। इससे होने वाली प्रतिस्पर्धा का लाभ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को मिलेगा।

तीसरा भ्रम कृषि अनुबंध को लेकर फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन चली जाएगी, लेकिन अनुबंध खेती से जुड़े कानून में तो जमीन का उल्लेख ही नहीं है। अनुबंध तो सिर्फ उपज का होगा। इसलिए यह कानून भी किसानों को राहत पहुंचाएंगे। पुरानी व्यवस्था में किसानों के लिए जोखिम अधिक था जबकि नए कानून में सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उस जोखिम को खत्म कर दिया है। प्रायः किसान पिछली फसल के दाम देखकर ही अगली फसल की तैयारी करते हैं, लेकिन अनुबंध कृषि के जरिये वे भविष्य की फसल की कम से कम जोखिम के साथ बेहतर योजना बना सकते हैं। अनुबंध कृषि कानून बोआई से पहले ही किसानों को अपनी फसल तय मानकों और कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा देता है। इससे किसान एक तो फसल तैयार होने पर सही मूल्य न मिलने के जोखिम से बच जाएंगे तथा दूसरे उन्हें खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि किसानों को फसल उगाने से अधिक उसे बेचने में कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। ये कानून काफी हद तक इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। अनुबंध कृषि में फसली सौदे का प्रावधान है, जमीन का नहीं। जमीन पर हर हाल में किसान का ही अधिकार होगा। किसी आपदा के समय सरकार से क्षतिपूर्ति भी किसानों को ही मिलेगी। अनुबंध कृषि वैसे भी अनिवार्य नहीं है तथा किसानों को ज्यादा दाम मिलने पर अनुबंध से बाहर आने की छूट है, जबकि व्यापारी के लिए अनुबंध तोड़ने पर कार्रवाई का प्रावधान है। किसान अनुबंध खेती में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से तभी सम्मिलित होंगे, जब वह उसे लाभकारी मानेंगे। अनुबंध होने से उन्नतिशील प्रजातियों और आधुनिक तकनीक का प्रसार तेजी से होगा। बाजार की मांग के अनुसार फसलें बोई जाएंगी तो उचित मूल्य मिलेगा। इस रणनीति से कृषि विविधीकरण तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अनुबंध कृषि को लेकर किसानों के मन में चल रही आशंकाओं को दूर करते हुए मोदी जी ने कहा है कि यह देश में किसी न किसी रूप में लंबे समय से हो रहा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यह केवल व्यापार बनकर न रहे। यह किसानों की आय को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। मोदी जी ने गांवों के आसपास ही कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि ग्रामीण जनता को इनमें रोजगार उपलब्ध हो सके।

यह दुष्प्रचार भी उचित नहीं कि इन कानूनों को रातोंरात लागू कर दिया गया क्योंकि इन सुधारों पर विमर्श वर्ष 2003 में वाजपेयी सरकार के समय से ही शुरू हो गया था। मोदी सरकार ने अभी तक दृढ़ता से इन सुधारों का समर्थन किया गया है, उसे किसानों द्वारा बनाए जा रहे दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए अन्यथा

किसी भी सरकार के लिए इन सुधारों पर कदम आगे बढ़ा पाना लगभग असंभव–सा हो जाएगा। तीनों कृषि कानूनों को लाने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए विभिन्न राज्यों और किसानों के साथ परामर्श किया गया था। कोविड–19 परिस्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने 5 जून, 2020 से 17 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों और अन्य अंशधारकों के साथ कई वेबिनार के जरिये बातचीत की थी। किंतु अब इन कृषि कानूनों के संबंध में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समाप्त हो जाएगा जबकि केन्द्र सरकार ने कई बार यह आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी सरकार के समय एमएसपी में 500 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल तक वृद्धि हुई है। साथ ही पहले की तुलना में एमएसपी पर अधिक खरीद भी की है जिससे किसानों को अधिक धन हस्तांतरित हुआ।

किसानों की उपज का उचित मूल्य न मिल पाना एक दीर्घकालिक समस्या रही है। इसे दूर करने के लिए ही चार दशक पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेग्युलेशन) एक्ट यानी एपीएमसी एक्ट बना जिसके परिणामस्वरूप कृषि विपणन समितियां बनीं। इनका उद्देश्य था किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाना, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। समय के साथ राज्य सरकारों ने इन मंडियों में तरह–तरह के शुल्क लगा दिए जिसका बोझ किसानों पर ही पड़ा। यही नहीं, मंडियों में आढ़तियों (एजेंटों) का एक तंत्र विकसित हो गया जिसने किसानों से औने–पौने दाम पर उपज खरीदकर उसे एमएसपी पर बेचकर लाभ की एक समानांतर व्यवस्था विकसित कर ली। किसान इसी तंत्र में फंसकर रह गया। नए कानून में इसी तंत्र को तोड़ने का मंत्र है।

जो सरकार साल दर साल कृषि उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाकर उसे डेढ़ गुना कर चुकी है, साढ़े बाईस करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दे चुकी है, आठ करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा का लाभ दे चुकी है, लगभग 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कर चुकी है, वह कैसे किसान विरोधी हो सकती है? ऐसे में किसान स्वयं कृषि कानूनों को तार्किक रूप से समझने का प्रयास करें, केवल विरोध के लिए विरोध करना सहीं नहीं है। बेशक सरकार किसान हितैषी है।

नए कृषि कानूनों से कृषि में निवेश बढ़ेगा। किसान नई तकनीक से जुड़ेंगे। भंडारण व्यवस्था सुदृढ़ होगी, उपज की बर्बादी रुकेगी, खेती–किसानी में नई जान आएगी, वेयर हाउस बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार होगी। वास्तव में ये कानून देश के कृषि इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इस बात में कतई अतिशयोक्ति नहीं कि देश में औद्योगिक फसलों में पोस्ट हार्वेस्ट हानियां अधिक हैं। इन उत्पादों के त्वरित नष्ट होने की प्रवृति के कारण उचित मूल्य दिलाने हेतु शीत–श्रृंखला खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। ये सुधार फसलों को फार्म गेट से ही खरीदकर बाजार तक अथवा प्रसंस्करण इकाई में कच्चे माल के उपयोग हेतु बिना हानि के शीघ्र हस्तांतरित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

इतनी विशेषताओं के बावजूद इन कानूनों का विरोध समझ से परे है क्योंकि इसमें अगर किसी पर शिकंजा कसा गया है तो वे हैं आढ़ती और दलाल। यही कारण है कि वे किसानों को गुमराह कर उनके आंदोलन को सभी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि कई राज्य सरकारें मंडी राजस्व घटने के भय से अंदर ही अंदर आंदोलनकारियों का समर्थन कर रही है। इन कृषि कानूनों का विरोध तार्किक आधार पर न होकर राजनीतिक संकीर्णता के चलते हो रहा है। नए कृषि कानून तो किसानों को मंडियों और आढ़तियों के वर्चस्व वाली व्यवस्था से निजात दिलाने वाले हैं। नए कृषि कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं, जिसके आधार पर उन्हें किसान विरोधी कहा जा सके। किसानों की दशा तब सुधरेगी, जब वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे। नए कृषि कानूनों का यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक बनने वाले आढ़तियों और बिचौलियों के तो शुभचिंतक हो सकते हैं, किसानों के नहीं।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि किसानों के इस कथित आंदोलन ने पहले कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानी तत्वों को सक्रिय किया और फिर पाकिस्तान सहित अन्य भारत विरोधी तत्वों को। किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर भारत को बदनाम करने और यहां अशांति फैलाने की साजिश हो रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के दुश्मनों को इसमें दखल देकर लाभ उठाने का कोई अवसर न मिले। किसानों का आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है और देश के पास उसे सुलझाने की सामर्थ्य है। भारत सरकार ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप वाली टिप्पणियों को खारिज करके उचित ही किया।

आज जो राजनेता इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कई तो पहले इनका समर्थन कर चुके हैं। राजनीति अपनी आवश्यकता के अनुसार मुखौटे बदलती रहती है। किसानों को इनसे सावधान रहना होगा। लंबे आंदोलन कभी–कभी बड़ा अहित कर जाते हैं। दिल्ली की सीमा पर जिस तरह की घेराबंदी की गई, उसने स्थानीय लोगों को कष्ट में डाल दिया है। लोग काम पर जाने के

लिए मीलों का चक्कर लगाने पर विवश हैं। कारखानों में मजदूरों और माल की आवाजाही में गिरावट आई है। बाजार में सामान की किल्लत है और इससे महंगाई बढ़ गई है। आसपास के इलाकों में लंबे समय से इंटरनेट बंद है जिससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। समस्या का समाधान मिल बैठकर यथाशीघ्र करना होगा।

कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ समय से जारी कुछ किसान संगठनों के विरोध–प्रदर्शन के बीच कई अहम तथ्य कहीं पीछे छूट गए हैं। उन पर गौर करने से वस्तुस्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। बजट में कृषि के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसकी तुलना में वर्ष 2018–19 में यह आवंटन 57,600 करोड़ रुपए था। वह भी पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के 2013–14 के बजट की तुलना में तीन गुणा अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि मोदीजी के गहरे जुनून से प्रेरित सरकार शोर–शराबे से दूर किसानों के उत्थान के लिए मदद का दायरा बढ़ा रही है।

बजट में एपीएमसी के विकास के लिए कृषि बुनियादी ढांचा फंड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मत्स्य उद्योग के संरक्षण के साथ–साथ प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के पुनर्वास की भी घोषणा की गई है। वर्तमान में जारी किसान स्वाभिमान, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, ग्रामीण बुनियादी ढांचा तथा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अतिरिक्त बजट में कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ाया गया यह कदम न सिर्फ कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा, बल्कि उसे विकास की ओर भी ले जाएगा।

सरकार द्वारा बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के लिए फंड को 30 हजार से 40 हजार करोड़ रुपए करने, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपए, 1,000 'ई–नाम' के जरिए किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और भू–स्वामित्व योजना जैसे अनेक प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए हैं। भू–स्वामित्व योजना का लाभ 1241 गांवों के 1.8 लाख किसानों को मिल चुका है तथा देश के दूसरे गांवों में भी इसे तेजी के साथ लागू किया जाएगा। भू–स्वामित्व योजना के द्वारा किसानों को मजबूती देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है।

खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी जी ने चौतरफा प्रयास शुरू कर दिए हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें तमाम उपाय कर रही है। मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जिसका लक्ष्य प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराया जाना था। साथ ही पानी के इस्तेमाल की समग्र दक्षता में सुधार करना भी इसका मकसद था। इसके लिए 'मोर क्रॉप पर ड्रॉप' जैसा प्रेरक नारा गढ़ा गया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय में इसके लिए मिशन निदेशालय गठित किया गया। सिंचाई लाभ कार्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए 99 से अधिक परियोजनाएं भी चिन्हित की गईं जिसके परिणामस्वरूप 2019 तक कुल 76 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे फायदा मिला। इसमें नाबार्ड के दीर्घकालिक सिंचाई कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये की मदद उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत माइक्रो–इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया। इससे सूक्ष्म सिंचाई का क्षेत्र 8.13 लाख हेक्टेयर से बढ़कर करीब 90 लाख हेक्टेयर हो गया। निश्चित रूप से इसका श्रेय सूक्ष्म सिंचाई निधि कोष को जाता है जिसका बजट हाल में दोगुना कर 5,000 करोड़ रुपए किया गया है। मोदी सरकार ने पूरे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सराहनीय पहल की है। इससे किसानों को उनकी उर्वरक इनपुट लागत को कम करने के लिए सालाना प्रति हेक्टेयर औसतन 5,000 रुपए मिले। सरकार जीरो–बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

उत्पादन लागत कम करने के लिए मोदी जी मृदा परीक्षण और अनुकूल खाद जैसी कई सुविधाएं लाए हैं। इनसे उत्पादन लागत घटाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को जोखिम कम करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें किसान के लिए बहुत कम प्रीमियम भुगतान (फसल के अनुसार लगभग 1.5–2 प्रतिशत) तय किया गया है। इसके चलते खरीफ फसल के लिए बीमा कवरेज में 2.72 करोड़ हेक्टेयर से 3.75 करोड़ हेक्टेयर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसी ही बढ़ोतरी समग्र बीमा राशि में भी हुई। बेशक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। फसल की अच्छी कीमत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने ई–नाम (ई–नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) योजना के माध्यम से कृषि मार्केटिंग में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसके जरिए खरीदार देश की किसी भी मंडी से कोई भी कृषि उपज खरीद सकते हैं। वर्ष 2020 की शुरुआत तक 18 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की तकरीबन एक हजार कृषि मंडियों को ई–नाम से जोड़ा जा चुका था। वर्ष 2021 में एक हजार से ज्यादा

और मंडियों को ई–नाम से जोड़ा जाना है। दूसरी तरफ अब एपीएमसी या कृषि मंडी अपने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से भी मदद हासिल कर सकती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बुनियादी ढांचा फंड के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 'किसान रेल' की शुरुआत भी स्वागतयोग्य कदम है। यह कृषि उपज के लिए कोल्ड चेन बनाने में बहुत मददगार होगी।

किसानों को बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में दस हजार से ज्यादा नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने पर जोर दे रही है। ऐसे संगठनों को सरकार का समर्थन उन्हें बाजार में बेहतर शर्तों पर मोलभाव की क्षमता प्रदान करेगा, जबकि फाइनेंसिंग उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करेगी।

इन कृषि कानूनों में कहीं भी एमएसपी पर दुष्प्रभाव डालने वाली कोई धारा या प्रावधान नहीं है। एमएसपी पर खरीद पूर्व की भांति चल रही है। एमएसपी के मामले में भी मोदी सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सांसद श्री फिरोज वरुण गांधी के अनुसार सरकार ने वर्ष 2019–20 में खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी को बढ़ाया ताकि इन फसलों के लिए राष्ट्र स्तर पर आकलित औसत उत्पादन लागत का तकरीबन 1.5 गुने के स्तर पर पहुंच सके। गेहूं की एमएसपी 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई जिससे कुल रिटर्न 109% हो गया। प्रतिशत के लिहाज से ही किसान को पिछले वर्ष की एमएसपी में 4.6% की बढ़ोतरी मिली। इस आमदनी में वृद्धि के लिए सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इसमें छोटे–छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना की मदद दी जाती है। कुल मिलाकर सरकारी प्रयासों का लक्ष्य है कि किसान प्रतिस्पर्धा में टिककर सक्षम एवं समृद्ध बनें। इसी दिशा में मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना लेकर आई। आज सम्मान निधि की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंच रही है। अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। अबतक लगभग 120 हजार करोड़ रुपये की धनराशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है। इस योजना में अब देश के सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2021 में लगभग 14 करोड़ किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया। पीएम किसान मानधन पेंशन योजना से भी अब तक 40 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने आरसेप–2 से बाहर आकर भी किसानों को चीन के नकारात्मक प्रभाव से बचाया।

इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने दूसरे उपायों जैसे कि डेयरी के जरिये किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली पहल की है। वर्ष 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता 5.35 करोड़ टन से बढ़ाकर 10.8 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन फ्लड (डेयरी विकास कार्यक्रम) की ही तरह ऑपरेशन ग्रींस (आलू–प्याज–टमाटर का समन्वित उत्पादन कार्यक्रम) की शुरुआत गेहूं और धान से अलग फसलों की खेती को बढ़ावा देकर देश में कृषि फसलों का संतुलन कायम करने में दूरगामी असर वाली होगी।

किसानों को अपने उपज की प्रतिस्पर्धी दरें दिलाने के लिए एपीएमसी का मॉडल एक्ट लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह कानून किसानों को अपना उत्पाद सीधे किसी को भी बेचने की छूट देगा। इससे खरीदारों में प्रतियोगिता बढ़ेगी और खरीदार पक्ष सांठगांठ नहीं कर पायेंगे, परिणामतः किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। अब कानूनी रूप से मान्य बिचौलिये के न होने से किसान सीधे ग्राहकों (मसलन रेस्तराओं, फूड प्रोसेसिंग कंपनी आदि) को अपना उत्पाद बेच सकेंगे। इससे ग्राहकों के लिए खाने–पीने की वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती के लिए कोरोना की आपदा अब अवसर में बदल रही है। खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु है जिसकी वैश्विक मांग कोरोना काल में भी बनी हुई थी, लेकिन कुछ देश सप्लाई करने की स्थिति में नहीं थे। इससे भारत को बेहतर अवसर मिला। कृषि उत्पादन में इजाफा होने के साथ–साथ विदेश व्यापार में भी इसकी हिस्सेदारी बढ़ने से किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल, चीनी, गेहूं, मक्का समेत तमाम कृषि उत्पादों के दाम में वृद्धि हुई है। इससे भारत के निर्यात में भी इजाफा हो रहा है।

किसान को आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नई तकनीक और नए तौर–तरीकों के साथ ही भारी मात्रा में निवेश की जरूरत है। नए कृषि कानून इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं। वास्तव में कृषि क्षेत्र के लिए यह पड़ाव वैसा ही है जैसा पिछली सदी के अंतिम दशक के आरंभ में उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था के लिए उदारीकरण के समय था। किसी भ्रमजाल में फंसने के बजाय किसान अपनी आमदनी दोगुनी करने और खेती को फायदेमंद बनाने की मोदी जी की मुहिम का साझीदार बनें। नए कृषि कानून किसानों के जीवन में

व्यापक बदलाव लाने के साथ–साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में भी समर्थ है। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत में किसान भी आत्मनिर्भर बनेगा, उनके लिए उन्नति के नए द्वार खुलेंगे।

कृषि की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के लिहाज से यह बजट विशेष महत्व रखता है। बजट से स्पष्ट है कि किसानों की उपज लागत से डेढ़ गुने अधिक एमएसपी पर खरीदी जाएगी। बीते वर्ष में गेहूं एवं दाल और चालू वर्ष में धान की खरीद में वृद्धि यह दिखाती है कि केन्द्र में किसानों के हित में काम करने वाली सरकार बैठी है। मोदी सरकार की नीतियों से देश दालों में आत्मनिर्भर हुआ जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ मिला है। पहले किसान यूरिया के लिए घंटो लाईन में खड़े रहते थे व पुलिस की लाठियां भी खाते थे, किंतु आज नीम कोटेड यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार कृषि क्षेत्र है। फसल विविधिकरण, कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहन, कृषि निर्यात बढ़ाने और जो फसल देश में हो सकती है, उसके आयात को हतोत्साहित करना बहुत जरूरी है। इसके मद्देनजर मोदी सरकार एक नई केंद्र प्रायोजित योजना लाने जा रही है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनोटेक्नोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स, मौसम नियंत्रित खेतों, जैविक खेती, बाजारों तक किसानों की पहुंच और ऐसे अन्य अनेक पहलुओं को मिलाकर खेती किसानी में अगली छलांग संभव है। भारत में उच्च मूल्य एवं गुणवत्ता की फसलें उगाकर विश्व को सप्लाई करने की क्षमता है। राजस्थान में ट्यूनीशिया की तरह विशेष गुणवत्ता के जैतून, गुलबर्गा में फ्रांस की गुणवत्ता के अंगूर, पहाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका के समकक्ष अखरोट का उत्पादन हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बुनियादी संरचना को भी स्थापित करना चाहिए। अगर हमारी कृषि स्वयं निर्यात केंद्रित उद्योग बन जाए तो उससे भी हमारे किसानों को भारी आमदनी होगी। किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें ग्रामीण भारत में विभिन्न प्रकार के काम–धंधों का सृजन करना होगा।

वास्तव में भारत में 15 करोड़ कृषक परिवार रहते हैं। यह किसानों का देश है और उनकी खुशी बहुत मायने रखती है। किसी भी बाजार में किसानों का शोषण न हो, यह सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। जब हम किसानों को उचित मूल्य देकर उनका संवर्द्धन करेंगे, तभी गांव, प्रदेश और देश की प्रगति होगी। खेती देश की लगभग 60% आबादी की आय का प्रमुख स्रोत है। कम आय वाली छोटे पैमाने की खेती ऐसा पर्दा है जिसने गांवों में बेहिसाब बेरोजगारी को छिपा रखा है। कृषि को बाजारोन्मुख एवं प्रतिस्पर्धी बनाने से ही कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। नए कृषि कानूनों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण का सीधा लाभ सीमांत, छोटे और मझोले किसानों को मिलेगा। किसानों की उपज को ज्यादा से ज्यादा बाजार उपलब्ध कराना समय की मांग है। देश में 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान हैं जिनके हितों का ध्यान रखना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। छोटे किसानों को सशक्त करने से भारतीय कृषि क्षेत्र की कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। खुले बाजार और नए निवेश से न सिर्फ कृषि की प्रवृत्तियों में बदलाव आएगा, बल्कि किसानों के जीने के ढंग में भी परिवर्तन होगा।

किसानों के एक वर्ग की मांग है कि इन कृषि कानूनों को खत्म कर दिया जाए। यह किसानों की समस्या का हल नहीं, बल्कि इनके प्रावधानों में संशोधन की बात के साथ इसे स्वीकार कर एक नई शुरुआत की जानी चाहिए। वास्तव में इन तीन कृषि कानूनों द्वारा कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधारों की एक नई शुरुआत की गई है। किंतु किसान आंदोलनकारियों ने किसानों के मन में इन कृषि कानूनों के प्रति भय और शंका भर दी है। मोदी सरकार ने कई बार वार्ता कर उसे दूर करने की कोशिश की तथा उच्चतम न्यायालय ने भी समिति बना कर उसे समझने की व्यवस्था बनाई, लेकिन आंदोलनकारियों ने अवसर खो दिया। यदि कृषि कानूनों पर खुले मन से चर्चा होती तो संभवतः एक सार्थक राष्ट्रीय विमर्श के द्वारा सभी पक्षों को अपनी बात रखने और दूसरे की बात समझने का बेहतर अवसर मिलता और देश किसी सकारात्मक नतीजे पर पहुंचता। इससे किसान नेताओं और आंदोलन की प्रतिष्ठा बढ़ती, छोटे–बड़े सभी किसानों का हित संरक्षित होता और देश खुशहाल होता, लेकिन अपनी हठधर्मिता से आंदोलनकारियों ने अबतक यह मौका गंवा ही दिया है। बेशक कृषि कानूनों से न एमएसपी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा न ही भूमि के स्वामित्व पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये सुधार किसानों को केन्द्र में रखकर उन्हें बाजार में बेहतर विकल्प देने, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार उपज पैदा करने, पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना सृजित करने और प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करने के लिए ही किए गए हैं। इससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2020 का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 14 – 29 सितंबर 2020 के दौरान हिंदी पखवाड़ा – 2020 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। 14 सितंबर 2020 को हिंदी पखवाड़ा के शुभारंभ पर संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थान में हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री बीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा दी गयी।

हिंदी पखवाड़ा – 2020 के दौरान कुल सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं तथा इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 32 लोगों ने हिस्सा लिया और इनमें से 20 सदस्य कोई न कोई पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे। सामान्य टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्रीमती सुधा वोहरा ने प्रथम, श्री राजेश कुमार कर्ण ने द्वितीय एवं श्रीमती मोनिका गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में श्रीमती सुधा गणेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता में श्री कृष्ण कुमार ने प्रथम, श्री सतीश कुमार व श्री दिलीप सासमल ने द्वितीय एवं श्री विश्वनाथ मल्लाह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध एवं पत्र–लेखन प्रतियोगिता में श्री नीरज शर्मा ने प्रथम, श्री राजेश कुमार कर्ण ने द्वितीय एवं श्रीमती प्रियंका स्वामी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में डॉ. रम्य रंजन पटेल ने प्रथम एवं श्रीमती सुधा गणेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सस्वर काव्य पाठ/गीत/गजल प्रतियोगिता में श्रीमती प्रियंका स्वामी ने प्रथम, श्री सतीश कुमार ने द्वितीय एवं श्रीमती रुचिका चौहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, श्रीमती मोनिका गुप्ता ने द्वितीय एवं श्रीमती पिंकी कालड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी टंकण एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, श्रीमती रुचिका चौहान ने द्वितीय एवं श्रीमती श्रीमती सुधा वोहरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। त्वरित भाषण प्रतियोगिता में श्री शैलेश कुमार ने प्रथम, श्री हर्षदीप ने द्वितीय एवं श्री प्रकाश मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया था।

सभी विजयी प्रतिभागियों के साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 में आयोजित 10वीं की परीक्षा में हिंदी में उत्कृष्ट अंक (95 प्रतिशत) प्राप्त करने पर मा. अभिषेक श्रीवास्तव (सुपुत्र श्री अवनींद्र कुमार श्रीवास्तव) को हिंदी प्रतिभा पुरस्कार योजना के तहत हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर 29 सितंबर 2020 को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार रखे तथा सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया।

ऐ मेरे वतन के लोगो

प्रदीप*

ऐ मेरे वतन के लोगो
तुम खूब लगा लो नारा
ये शुभ दिन है हम सब का
लहरा लो तिरंगा प्यारा
पर मत भूलो सीमा पर
वीरों ने हैं प्राण गँवाए
कुछ याद उन्हें भी कर लो –2
जो लौट के घर न आये –2

ऐ मेरे वतन के लोगो
जरा आँख में भर लो पानी
जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी

जब घायल हुआ हिमालय
खतरे में पड़ी आजादी
जब तक थी साँस लड़े वो
फिर अपनी लाश बिछा दी
संगीन पे धर कर माथा
सो गये अमर बलिदानी
जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी

जब देश में थी दीवाली
वो खेल रहे थे होली
जब हम बैठे थे घरों में
वो झेल रहे थे गोली
थे धन्य जवान वो अपने
थी धन्य वो उनकी जवानी
जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी

कोई सिख कोई जाट मराठा
कोई गुरखा कोई मदरासी
सरहद पर मरनेवाला
हर वीर था भारतवासी
जो खून गिरा पर्वत पर
वो खून था हिंदुस्तानी
जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी

थी खून से लथ–पथ काया
फिर भी बन्दूक उठाके
दस–दस को एक ने मारा
फिर गिर गये होश गँवा के
जब अन्त–समय आया तो
कह गये के अब मरते हैं
खुश रहना देश के प्यारों
अब हम तो सफर करते हैं
क्या लोग थे वो दीवाने
क्या लोग थे वो अभिमानी
जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी

तुम भूल न जाओ उनको
इसलिये कही ये कहानी
जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी

जय हिन्द...
जय हिन्द की सेना –2
जय हिन्द, जय हिन्द, जय हिन्द।

* *प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार*

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और विकृत होता विरोध

बीरेंद्र सिंह रावत*

विश्वभर के देशों में वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में भी विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ चल रही हैं, इनमें से कुछ प्रणालियाँ इस प्रकार हैं: i) राजशाही – यह एक प्राचीन शासन प्रणाली है और सऊदी अरब, ब्रूनेई एवं यूएई जैसे देशों में अभी भी चल रही है। साथ ही, अनेक यूरोपीय देशों ने औपचारिक रूप से राजतंत्र को बनाए रखा है परंतु इसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में है जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क और स्वीडन; ii) लोकतंत्र – अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित शासन है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही है। आइसलैंड की संसद विश्व की प्राचीनतम संसद है, ब्रिटेन की संसद को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और स्विट्जरलैंड की संसद को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है तो अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है; iii) साम्यवाद – साम्यवादी शासन प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी ही सर्वे–सर्वा होती हैं, जनता को मात्र स्थानीय स्तर पर ही मतदान का अधिकार दिया जाता है। वर्तमान में चीन, मंगोलिया, वियतनाम और क्यूबा में यह शासन प्रणाली चल रही है। 1991 तक सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी सहित पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में भी यही व्यवस्था थी; और iv) तानाशाही– इस प्रकार की शासन प्रणाली में समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में होती हैं, उत्तर कोरिया और अनेक अफ्रीकी देशों में यही प्रणाली प्रचलित है।

एक लोकतांत्रिक सरकार के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून–व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक–दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक–दूसरे पर आश्रित हैं, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति–निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग–अलग देशों में भिन्न–भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढाँचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं लेकिन जो लोग रोज–रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है।

सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। कार्यपालिका के अनेक प्रकार होते हैं जैसे कि अध्यक्षात्मक, अर्ध–अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। अर्ध–अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में, अक्सर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के होते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग–अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री या चांसलर तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान, और पुर्तगाल सहित दुनिया के अधिकतर देशों में यह व्यवस्था है।

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

शासन व्यवस्था में भिन्नता के कारण अमेरिका और भारत में सरकार के प्रमुखों के निर्वाचन प्रक्रिया भी भिन्न है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हर चार साल में होते हैं और वर्ष 1845 के बाद यह चुनाव नबंवर माह के पहले सोमवार के बाद वाले पहले मंगलवार होते हैं। पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज ही करता था, लेकिन तब अलग–अलग मत नहीं डाले जाते थे। उस समय जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते थे, वह राष्ट्रपति बनता था और दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता था। नए संविधान के तहत सोमवार, 15 दिसंबर 1788 से शनिवार, 10 जनवरी 1789 तक आयोजित चुनाव में जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के रूप में अपने दो कार्यकालों के लिए चुना गया था और जॉन एडम्स पहले उप राष्ट्रपति बने थे। यह एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव था जो दो कैलेंडर वर्ष (1788 और 1789) में संपन्न हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो और वह 14 साल से देश में रह रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, राष्ट्रपति को अंग्रेजी भाषा आना भी आवश्यक है। राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टर्स करते हैं। भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी दो सदन होते हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 435 है। दूसरे सदन सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के 51वें राज्य कोलंबिया से तीन सदस्य आते हैं। इस तरह संसद में कुल 538 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत हासिल करना आवश्यक होता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति पद के दो कार्यकाल के बाद कोई भी व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। अमेरिकी लोकतंत्र में द्वि–दलीय राजनीतिक व्यवस्था है। इसलिए त्रिशंकु संसद का खतरा भी नहीं होता। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट यहां दो प्रमुख पार्टियां हैं। अन्य दलों का यहाँ कोई वजूद नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी होती है। राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं, जो चंदा जमा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है। कई बार यह प्रक्रिया चुनाव से दो साल पहले ही शुरू हो जाती है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में 'इलेक्टोरल कॉलेज' के जरिए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था है। हालांकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं का एक वर्ग इस पक्ष में था कि संसद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिले, जबकि दूसरा धड़ा सीधी वोटिंग के जरिए चुनाव के हक में था। 'इलेक्टोरल कॉलेज' को इन दोनों धड़ों की अपेक्षाओं के बीच की एक कड़ी माना गया। राष्ट्रपति चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपने स्तर पर दल का प्रतिनिधि चुनते हैं। प्राथमिक चुनाव में चुने गए पार्टी के प्रतिनिधि दूसरे दौर में राजनीतिक दल का हिस्सा बनते हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। यही वजह है कि कुछ राज्यों में जनता 'प्राइमरी' दौर में मतदान का इस्तेमाल न करके 'कॉकस' के जरिए पार्टी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। कॉकस (एक बैठक जिसमें एक राजनीतिक दल के स्थानीय सदस्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बीच अपनी वरीयता दर्ज करते हैं) में पार्टी के सदस्य जमा होते हैं। स्कूलों, घरों या फिर सार्वजनिक स्थलों पर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाती है। वहां मौजूद लोग हाथ उठाकर उम्मीदवार का चयन करते हैं। कहीं–कहीं प्राइमरी में मतपत्र के जरिए मतदान होता है। हर राज्य के नियमों के हिसाब से अलग–अलग तरह से प्राइमरी होती है और कॉकस प्रक्रिया भी हर राज्य के कानून के हिसाब से अलग–अलग होती है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आयोवा और न्यू हैंपशायर से शुरू होती है। दोनों ही छोटे राज्य हैं मगर यहां की आबादी में 94 प्रतिशत लोग गोरे हैं, जबकि पूरे अमेरिका में गोरी आबादी 77 फीसदी है। यहां सबसे पहले कॉकस या प्राइमरी होता है। इन दो राज्यों में मिली जीत आगे की चुनावी मुहिम पर खासा असर डालती है। हालांकि यहाँ की जीत का अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्याशी को पार्टी की उम्मीदवारी मिल ही जाएगी, लेकिन आयोवा और न्यू हैंपशायर की जीत मीडिया कवरेज दिलाने में जरूर मददगार होती है। अमेरिका में चुनाव के लिए दिन और महीना बिलकुल तय होता है। यहां चुनावी साल के नवंबर महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को मतदान होता है। हालांकि यहां 60 दिन पहले वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस अवधि में अमेरिका से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी ऑनलाइन वोट डाल सकता है। भारत में जहाँ चुनाव आयोग परिणामों की घोषणा करता है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में सभी 50 राज्य अलग–अलग परिणामों को सत्यापित करते हैं जिसमें कई दिन लग जाते हैं और सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से तब शुरू होती है जब सामान्य सेवा प्रशासन सभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विजेता के नाम की घोषणा कर देता है। अमेरिका में मंत्रिमंडल बनाने की प्रक्रिया भारत से बिलकुल ही भिन्न है। यहाँ मंत्री बनने वाले

व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि वह संसद का सदस्य हो, ना ही उसके लिए राजनीतिक दल का सदस्य होना जरूरी है। यदि राष्ट्रपति को लगता है तो वह विरोधी पार्टी के सदस्य अथवा किसी विषय विशेषज्ञ को भो मंत्री बना सकता है।

भारत में संसदीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, भारत में सरकार का औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। उसे औपचारिक रूप से बहुत–सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात् शक्तियाँ प्राप्त हैं किंतु संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है।

उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधान सभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता।

भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राष्ट्रपति लोक सभा में बहुमत वाले दल/घटक के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब लोकसभा में किसी एक दल या घटक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति बहुमत वाले दल/घटक द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है जो संसद सदस्य न हो, परंतु बाहरी व्यक्ति को पद ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना अनिवार्य होता है अन्यथा उसे अपने पद से हटना पडता है। संविधान विशेष रूप से प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इस पद के पदाधिकारी को सरकारी तंत्र पर दी गयी अत्यधिक नियंत्रणात्मक शक्ति, प्रधानमंत्री को भारतीय गणराज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है।

भारत संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और इसके दो सदन हैं– राज्यसभा तथा लोकसभा। राज्य सभा के लिये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव निर्धारित तरीके से 6 वर्ष के लिए एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है। राज्य सभा को भंग नहीं किया जाता, बल्कि हर दूसरे वर्ष में इसके एक–तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में राज्य सभा में 245 सीटें हैं। उनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा जनप्रतिनिधियों की सभा है जिनका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है (530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिये और एंग्लो–इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, यदि उसके विचार से उस समुदाय का सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है)। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से राज्यों से और 13 केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि एंग्लो–इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर्ष का होता है।

भारतीय संविधान, प्रधानमंत्री पद हेतु किसी प्रकार की विशेष अर्हताएँ निर्दिष्ट नहीं करता है। परंतु एक आवश्यकता जरूर निर्धारित की गई है – प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए, और उसके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिये। यदि नियुक्ति के समय पात्र, भारतीय संसद के दो सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति के 06 महीनों के मध्य ही उसे संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है अन्यथा उसका प्रधानमंत्रित्व खारिज हो जायेगा। अतः प्रधानमंत्रित्व के दावेदार के पास एक सांसद होने की सारी अर्हताएँ होनी चाहिये। भारतीय

संविधान के पंचम् भाग का 84वाँ अनुच्छेद, एक सांसद की अर्हताओं को निम्न प्रकार निर्दिष्ट करता है: कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए पात्र तभी होगा जब – वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है; वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम–से–कम तीस वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम–से–कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएँ। जैसा कि तीसरे बिंदु में विनिर्दिष्ट है, पात्र को संसद द्वारा भविष्य में पारित पात्रता की किसी भी योग्यता पर खरा उतरना होगा तथा क्योंकि प्रधानमंत्री का सांसद होना अनिवार्य है, अतः प्रधानमंत्रित्व के पात्र को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य योग्य होने हेतु कुछ अन्य अर्हताओं पर भी खरा उतरना होता है, जिनमें उसका विकृत चरित्र वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित न होना; स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता वाला व्यक्ति न होना; किसी न्यायालय द्वारा उसका निर्वाचन शून्य न घोषित कर दिया गया हो; तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त न होना शामिल हैं। साथ ही, वह केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा पूर्वकथित किसी भी सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय तथा प्रशासनिक या गैर–प्रशासनिक निकाय की सेवा में किसी भी लाभकारी पद का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रथम संशोधन के अनुसार 'सरकार धर्म के संबंध में कोई कानून नहीं बनाएगी, न किसी धर्म को किसी रूप में स्थापित किया जाएगा, न किसी धर्म को रोकने का कोई प्रयास किया जाएगा। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिस से किसी के भी कुछ बोलने पर रुकावट हो। अखबारों और प्रेस की बोलचाल पर किसी भी प्रकार की रोक लगाना वर्जित है। नागरिकों के शांतिपूर्वक एकत्रित होने के अधिकार पर कोई रोक नहीं होगी। नागरिकों के सरकार से किसी अन्याय की दुहाई देकर उसे सही करने की मांग करने पर कोई रोक नहीं होगी।' इसी तरह, भारत के संविधान के अनुच्देद 19 के अनुसार नागरिकों को बोलने, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने, संघ बनाने, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र 'भारत' और सबसे पुराने लोकतंत्र 'संयुक्त राज्य अमेरिका' की प्रगति एवं समृद्धि में इन देशों में नागरिकों को मिले अधिकार काफी अहम भूमिका निभाते हैं। परंतु 1788–89 में हुए पहले चुनाव के 232 वर्ष बाद 06 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक एवं शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के संसद भवन कैपिटल हिल में जो कुछ देखने को मिला वह वाकई शर्मनाक था। दुनिया के तमाम देशों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करार दिया। नवंबर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन की जीत पर मुहर लगाने के लिए 06 जनवरी 2021 को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया था। इसी दौरान अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, जो 03 नवंबर 2020 को हुए चुनाव में अपनी पराजय को नहीं पचा पा रहे थे और धाँधली के अनर्गल आरोप लगा रहे थे, के हजारों समर्थकों ने संसद पर धावा बोल दिया और सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर वे उपद्रवी संसद परिसर में घुस गए। उन्होंने परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और गोलियां चलाईं। इस अभूतपूर्व हिंसा के चलते संसद परिसर में भगदड़ मच गई और सांसद जान बचाने के लिए इधर–उधर छुप गए। पुलिस के साथ हुई झड़प में चार लोगों की मौत हो गई और 14 पुलिस अधिकारियों समेत कई अन्य घायल हो गए। संसद परिसर करीब चार घंटे तक ट्रंप समर्थकों के कब्जे में रहा। इसी तरह, चुनाव में मिली पराजय को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के राजनैतिक दल भी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपनी पराजय का ठीकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर फोड़ते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ईवीएम के अनेक फायदे हैं जिनमें से प्रमुख फायदे इस प्रकार है: i) इसकी वजह से अवैध वोट डालने की समस्या पर रोक लगी है, क्योंकि इसमें अवैध वोट नहीं डाला जा सकता; ii) ईवीएम के कारण लाखों–करोड़ों की संख्या में बैलट पेपर छापने की जरूरत नहीं होती है, परिणामतः बैलट पेपर की छपाई, संग्रहण, वितरण और लाने–ले जाने पर होने वाले खर्च की बचत हुई है; और iii) बैलट पेपर की तुलना में ईवीएम से वोटों की गणना बहुत तेजी और आसानी से की जा सकती है। दरअसल, वर्ष 2017 के पूर्वार्ध में देश के पाँच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम आते ही तमाम राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर बड़े जोर–शोर के साथ सवाल खड़े करने शुरु कर दिए। उनकी शंकाओं का निराकरण करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने 12 मई 2017 को ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने की

खुली चुनौती में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन 03 जून 2017 को आयोजित होने वाली चुनौती को स्वीकार करने की 26 मई 2017 तक की निर्धारित समय सीमा में सिर्फ दो दलों (एनसीपी और सीपीएम) ने ही आवेदन किया जबकि आयोग ने चुनौती के लिए तत्समय सम्पन्न पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव में 12 विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल की गई 14 मशीनों को हैक करने के लिए दावेदारों को मुहैया कराने के लिए चुना था। 03 जून 2017 को आयोजित चुनौती में सीपीएम और एनसीपी चुनाव आयोग पहुंचीं लेकिन उन्होंने भी चुनौती में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और करीब दो घंटे के बाद दोनों दलों के सदस्यों ने कहा कि वे सिर्फ ईवीएम की तकनीक और प्रक्रिया को समझने आए थे।

इन दोनों ही महान लोकतांत्रिक देशों में पराजित दलों/उम्मीदवारों द्वारा अपनी पराजय सहजता से स्वीकार नहीं कर पाना और चुनाव में धाँधली के अनर्गल आरोप लगा देना कहीं न कहीं आज के सभ्य समाज में हमारी सत्ता–लोलुप मानसिकता को उजागर करता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे और अमेरिका में नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक चले इस तरह के अनर्गल आरोपों और उसके बाद अपनाए गए विरोध में फर्क यह रहा कि पराजय को स्वीकार करने में जहाँ भारत में विपक्षी दलों को परेशानी महसूस होती है, वहीं अमेरिका में यह परेशानी सत्ताधारी दल को थी और चुनाव प्रक्रिया का विरोध अमेरिका में हिंसक हो गया था जबकि भारत में यह विरोध पूर्णतः अहिंसक रहता है। दोनों देशों में संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहें या फिर संवैधानिक अधिकारों के तहत मिली कोई और आजादी, जिसका दुरुपयोग करते हुए यह सब घटित होता है। शायद इसीलिए एक बार प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता, इतिहासकार, लेखक और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि 'लोकतंत्र शासन की सबसे खराब प्रणालियों में से एक है लेकिन यह बस अपवाद स्वरूप समय–समय पर आजमाई गई अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है।' यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई खामियां एवं समस्याएं हैं, लेकिन अन्य प्रणालियां इससे भी खराब हैं।

हालांकि भारत में निर्वाचन संबंधी विरोध अभी तक अहिंसक रहे हैं परंतु अन्य मामलों में कुछ वर्षों से संवैधानिक अधिकारों के तहत मिली धरना–प्रदर्शन की आजादी का दुरुपयोग करते हुए कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा आंदोलनकारियों के भेष में हिंसा का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। पिछली बार नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में पहले तो शाहीनबाग में महीनों तक रोड़ बंद कर दी गई और फिर फरवरी 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के अवसर पर दिल्ली को रक्तरंजित कर दिया गया। दरअसल, नागरिकता (संशोधन) विधेयक में भारत के तीन पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। विपक्षी दलों का कहना था कि विधेयक मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है जबकि आजादी के बाद भारत ने पहले भी दो बार माना है कि उसके पड़ोस में रह रहे अल्पसंख्यक उसकी जिम्मेदारी हैं। सबसे पहले विभाजन के तुरंत बाद और बाद में 1972 में इंदिरा–मुजीब संधि के दौरान भारत ने 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को आश्रय दिया गया था। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि दोनों अवसरों पर केवल हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई समुदायों के लोगों को ही भारत में आश्रय दिया गया था। पिछली बार की तरह इस बार भी आंदोलनकारी कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर चारों ओर महीनों से डेरा डाले हुए हैं। किसान संगठनों के साथ 30 दिसंबर 2020 को हुई छठे दौर की वार्ता में सरकार ने उनके एजेंडे की चार मांगों में से दो मांगें मान लीं। सरकार पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोकने और विद्युत संशोधन अधिनियम की वापसी पर राजी हो गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सकारात्मकता से कार्य करने एवं तीनों कानूनों को डेढ़–दो साल तक निलंबित रखने के लिए भी सरकार राजी है ताकि इस दौरान इन कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के अनुसार आवश्यक संशोधन/सुधार किए जा सकें परंतु आंदोलनकारी कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं और अपने आंदोलन को तेज करने के उद्देश्य से उन्होंने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने पहले तो किसान नेताओं से यह रैली किसी और दिन निकालने का अनुरोध किया और जब वे नहीं माने तो किसान नेताओं के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ट्रैक्टर रैली के समय एवं मार्ग निर्धारित किए गए। किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्वक एवं तय मार्गों पर निकालने का लिखित आश्वासन पुलिस प्रशासन को दिया परंतु कुछ लोगों ने ट्रैक्टर रैली अनुमत मार्गों पर न निकाल कर दिल्ली में चारों ओर से घुसकर न केवल अराजकता फैलाई जिसमें अनेक पुलिसकर्मी घायल हुए तथा एक आंदोलनकारी भी दुर्घटना का शिकार हुआ, अपितु लाल किले के प्राचीर पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगे' के बराबर में निशान साहिब का झंडा भी फहरा

दिया। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उसके स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान हेतु कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, जो उस राष्ट्र की पहचान होते हैं। उन प्रतीकों में सबसे प्रमुख प्रतीक होता है – उसका राष्ट्रीय झण्डा या ध्वज। भारत की आन, बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगे' को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है।

नागरिकता संशोधन विधेयक, अब बहाना हैं कृषि कानून ।
ये आंदोलन नहीं हो सकते, जिनमें बहे अपनों का खून ।1।
तिरंगे की जगह पंथ विशेष के झंडे को ही फहराया जाना।
यह सरासर मात्र उपद्रव था, करके आंदोलन का बहाना ।2।
ट्रैक्टर रैली की अनुमति लेने, वाले किसान नेता थे जिम्मेदार ।
नासमझी में जिनकी, कुछ को मिला उपद्रव करने का विचार ।3।
एक अजीब–सा शौक हो गया, संविधान की देते हैं सब दुहाई ।
अधिकारों पर अधिकार जताते, कर्तव्यों की बात न करे कोई भाई।4।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के नागरिकों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता भारत के संविधान के तहत मिली हुई है परंतु संविधान के अनुच्छेद 19 (ख) के अनुसार *यह स्वतंत्रता शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने* की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार *कहीं भी और कभी भी* नहीं हो सकता। पिछले वर्ष एक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा जमाना स्वीकार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कुछ अचानक प्रदर्शन हो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक असहमति या प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगातार कब्जा नहीं किया जा सकता है जिससे दूसरे लोगों के अधिकार प्रभावित हों। अतः, हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का हमेशा यथोचित सम्मान करें और अपनी स्वतंत्रता के बहाने दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन न करें। महीनों तक सड़क बंद किए जाने से स्थानीय लोगों को आजीविका एवं आवागमन सहित तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है।

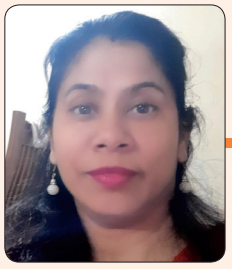

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

क्योंकि आज भी टूटा तारा निहारती हूँ मैं

प्रियंका स्वामी*

ना गीत गाती हूँ , ना कोई गजल सुनाती हूँ
समय की इस अनवरत बहती धारा में
बस पंछी बन चहक जाती हूँ मैं
क्योंकि आज भी टूटा तारा निहारती हूँ मैं ।1।

टूटे हुए तिनकों को बटोर नवसृष्टि सजाती हूँ
काल के कपाल पर कभी लिखती... कभी मिटाती हूँ
यादों की पोटली को टटोलती और उसमें कहीं खो जाती हूँ
क्योंकि आज भी टूटा तारा निहारती हूँ मैं ।2।

काँटों से भरे जीवन को कभी हर्षित, कभी सुसज्जित पाती हूँ
नीरवता से मुखरित मधुबन को ...अपने में समाती हूँ
फिर खुद को मुक्ति के क्षणों में बंधा पाती हूँ
क्योंकि आज भी टूटा तारा निहारती हूँ मैं ।3।

तिलिस्म–सी झूठी इस रंगमंच की दुनिया में
परिवेश से पृथक ....क्यों शून्य बन सहम जाती हूँ
टूटे हुए सपनों की सिसकियों को समेटे
कागज पर कविता बन उतर आती हूँ
क्योंकि आज भी टूटा तारा निहारती हूँ मैं ।4।

** अकाउंट एसोसिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

भारत के समग्र विकास के लिए बढ़ते कदम

राजेश कुमार कर्ण*

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकासपरक और समावेशी नीतियों से देश सतत विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। सपनों को संजोना जितना आसान है, उतना ही कठिन है उन्हें साकार करना, लेकिन पिछले छह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिन सपनों को संजोया, उन्हें साकार होते भी हम सब देख रहे हैं– चाहे वह हर घर तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का निर्माण करना हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत माताओं–बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाना। समय रहते इन सभी योजनाओं को घर पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसी सोच और संकल्प के साथ प्रधानमंत्रीजी ने 15 अगस्त 2019 को 3.6 लाख करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना की घोषणा की थी जिसका संकल्प वर्ष 2024 तक देश के 19.04 करोड़ ग्रामीण आवासों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाना है। कोविड–19 महामारी के बावजूद पिछले एक वर्ष में देश के 3.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिये नल कनेक्शन प्रदान किए हैं, जबकि आजादी के बाद अगस्त 2019 तक 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों को ही पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। प्रतिदिन दो लाख से अधिक घर जल जीवन मिशन से जुड़ रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत खराब गुणवत्ता वाले जल से प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि फ्लूरोसिस और आर्सेनिकोसिस के दुष्प्रभावों में कमी लाई जा सके। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर कनेक्शन की जिओ–टैगिंग हो रही है तथा कनेक्शन को परिवार के मुखिया के आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।

वास्तव में, अगर दृढ़ता और संकल्प हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। बजट में भी इन योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने की सोच को साकार करने के लिए पर्याप्त धन का आबंटन किया गया है। इस बजट में पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपए और स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शुद्ध पेयजल के लिए बजट आवंटन 450% तक बढ़ा है। जलशक्ति मंत्रालय के लिए कुल बजट में भी 180% की वृद्धि की गई है जो जल से जुड़े विषयों पर सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। ग्रामीण परिवारों तक जल जीवन मिशन के आशाजनक परिणामों को देखने के बाद ही सरकार ने इस बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू करने की घोषणा की है जिससे 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.68 करोड़ शहरी परिवारों को पाइपलाइन से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जाएगी। मोदी सरकार जन–जन तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। स्वच्छ जल के लिए अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी इलाकों के लिए जल जल जीवन मिशन शुरू किया जाना एक अच्छा कदम है।

वर्ष 2014 से केन्द्र में मोदी सरकार आने के बाद से गांव–गरीब और किसानों के हालात तेजी से बदल रहे हैं। मोदी जी ने यह संदेश दिया है कि किसानों के जीवन में बदलाव अब एक सामूहिक दायित्व है। इस दायित्व पूर्ति की बुनियादी शर्त है किसानों की आजादी। नए कृषि कानूनों के बाद हमारे अन्नदाता किसानों को बिचौलियों के नागपाश से मुक्ति मिल गई है। अब वे अपनी उपज अपनी शर्तों पर मनमाफिक दाम पर कहीं भी बेच सकेंगे। स्थानीय मंडियां दलालों, माफियाओं की गिरफ्त में थीं, लेकिन अब कृषि उपज भी अन्य औद्योगिक उत्पादों की तरह 'एक देश–एक बाजार' की अवधारणा से जुड़ जाएगी। इससे खेती में निवेश बढ़ेगा, बुनियादी ढांचा सुधरेगा, कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। खेती ठीक नहीं हुई तो देश ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिन खेती सब सून। किसानों की आय दोगुनी हो, उनकी उपज का उन्हें सही मूल्य मिले, अपनी फसल बेचने में उन्हें कोई कठिनाई न हो, किसानों की मेहनत आढ़तियों तथा बिचौलियों की भेंट न चढ़े, इसको लेकर सरकार लगातार सुधारवादी कदम उठा रही है। फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर उसे उत्पादन लागत का डेढ़ गुणा किया गया है। मोदी सरकार यूपीए सरकार के मुकाबले करीब तीन गुना अधिक राशि देश के किसानों के खाते में अब तक पहुंचा चुकी है।

मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक जरूरी कदम उठाएं हैं। केन्द्र सरकार की 'मातृ वंदना योजना' से देश में लगभग 23 लाख माताएं लाभान्वित हुई हैं। हर अपराधी का स्थान जेल में निश्चित हुआ है। महिला अपने पुराने उज्ज्वल और सक्षम स्वरूप को अब तीव्रगति से प्राप्त कर रही है, यह संतोष का विषय है। किसी शासनकाल में महिलाएं स्वयं को सुरक्षित और शसक्त समझें यह उस सत्ता की सफलता है।

* *आशुलिपिक सहायक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ठीक ही कहा है कि महीनों तक लॉकडाउन के कारण ठप आर्थिक गतिविधियों के बावजूद यह बजट चुनौतियों से उबर कर आगे बढ़ने की मजबूत इच्छाशक्ति वाले सशक्त भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। बजट में भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा रखने वाले देश की संकल्पशक्ति नजर आती है। देश ने महसूस किया है कि यदि नेतृत्व दूरदर्शी और संकल्पवान हो तो आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। कोरोना महामारी के बार रिसेटिंग मोड में चल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के लिए नए अवसर हैं। इस बजट में इन अवसरों को परिणाम में बदलने की नीतिगत योजना दिखती है।

अनेक चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने किसी प्रकार के कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बिना बजट में जनकल्याण के कार्यों को 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास' मंत्र के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब, किसान, महिला, युवा को प्राथमिकता दी है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के दौरान देशव्यापी टेस्टिंग नेटवर्क, पीपीई किट उत्पादन में भारत की कार्यशैली ने विकसित देशों को भी चकित किया। स्वास्थ्य बजट में 137% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए उसे 2.38 लाख करोड़ रुपए किया गया है। बजट में प्रस्तावित आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से लगभग 75 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को मदद मिलेगी। नई लैब–नए संस्थान खुलने से स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव होंगे। बजट में कोरोना टीकीकरण के लिए 35 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भारत कोरोना टीके के निर्माण और उत्पादन में अग्रणी बना है। दो टीके– कोवैक्सीन तथा कोविशिल्ड लोगों को लगाए जा रहे हैं। सात अन्य टीके बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ज्यों–ज्यों टीकाकरण अभियान तेजी पकड़ेगा, त्यों–त्यों कोरोना के मामले भी कम होते जाएंगे और धीरे–धीरे भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामले लगभग एक लाख पैंतीस हजार बचे हैं जबकि 18 सितंबर, 2020 को सक्रिय मामलों की संख्या 10,17,754 तक पहुंच गई थी। अर्थात, कोरोना के सक्रिय मामलों में लगभग 87% की कमी आई है। कोरोना मामलों में भारत में आ रही कमी प्रशंसनीय है।

वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मोदी जी दुनिया के तमाम देशों में टीका पहुंचा कर भारत को वैश्विक पटल पर सम्मान दिला रहे हैं। भारत का वैक्सीन मैत्री अभियान हाल के समय की सबसे महत्वपूर्ण पहल में से एक है। अपने पड़ोसी देशों और अन्य जरूरतमंद देशों को वैक्सीन देकर भारत विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। मोदी जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देश के राजनयिक प्रयासों में सबसे आगे रखकर चल रहे हैं। उन्होंने पहले ही पहचान लिया कि भारत टीका निर्माण और वितरण में विशेष भूमिका निभा सकता है। उनके अनुसार वैक्सीन की लाखों डोज की सप्लाई से भी भारत एक बांड बन रहा है, भारत की पहचान बन रही है और इसका फायदा कारोबार में भी मिलेगा। जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वे खाली नहीं आ रहे हैं, वे अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, आत्मीयता और भारत के साथ एक भावनात्मक लगाव भी ला रहे हैं। अब उद्यमियों को सिर्फ अपने उत्पाद की पहचान बनानी है। सस्ता माल जल्दी बिकने की बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता की ताकत बड़ी होती है। भारत की विश्वव्यापी छवि 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' अर्थात दुनिया का दवाखाना के रूप में मजबूत हुई है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक दवा उत्पादन का 20% यहीं होता है और दुनिया में टीके की 62% मांग की पूर्ति यहीं से होती है।

भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, दोनों को बेहतर बनाने के लिए अपने ढंग से पहल की है। भारत ने लगातार प्रयास किए हैं कि कोविड वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से रियायत दी जाए और संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के तहत विश्व के कोने–कोने तक टीके की पहुंच सुनिश्चित हो। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड–19 टीकाकरण अभियान पहले से ही चल रहा है। घरेलू जरूरतों को सुनिश्चित कर दुनिया को टीका देने में कोई हर्ज नहीं है। देश की अनेक कंपनियां टीके विकसित कर रही हैं। महामारी के शुरुआती दिनों में भारत ने जिस तरह दवाओं का निर्यात किया, उससे भी देश की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई और अब टीके के लिए अनेक देश भारत से उम्मीद लगाए हुए हैं। कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। बेशक भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपने कर्तव्य के रूप में देखता है। भारत को हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन, पैरासिटामोल और अन्य दवाओं की आपूर्ति के लिए 100 से भी अधिक देशों से अनुरोध प्राप्त हुए। भारत द्वारा अमेरिका, इजरायल तथा ब्राजील सहित 150 से भी अधिक देशों को जरूरी दवाओं, परीक्षण किट और अन्य चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति की गई। गंभीर स्वास्थ्य संकट के समय भारत के इस पहल ने भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने का अनूठा अवसर दिया है।

सर्वे सन्तु निरामया– पूरा संसार स्वस्थ रहे, भारत की इस हजारों वर्ष पुरानी प्रार्थना पर चलते हुए संकट के इस समय में भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भी शुरू से निभाया है। जब दुनिया के अनेक देशों में हवाई क्षेत्र बंद था तब एक लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही अनेक देशों के स्वास्थ्यकर्मी को भारत ने ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया। भारत की परंपरागत चिकित्सा– 'आयुर्वेद' कैसे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में भी मार्गदर्शन किया। विश्व के क्षितिज पर भारत पहला देश है जिसने कोरोना

महामारी के नियंत्रण में रोग प्रतिरोधक द्रव्यों में आयुर्वेद के माध्यम से उपचार की दिशा में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय, हल्दी, दालचीनी व तुलसी जैसे द्रव्यों का निर्यात आम वर्षों से कई गुणा मात्रा में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आयुर्वेद द्रव्यों की प्रशंसा कर आयुर्वेद की विश्वसनीयता पर अपनी मोहर लगा दी है। योग, ध्यान एवं व्यायाम आदि से स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में विभिन्न देश लाभान्वित हुए, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

आज भारत, कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर, वहां पर टीकाकरण से जुड़े बुनियादी ढांचे को तैयार करके, दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहा है। ये वैक्सीन्स दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर, ज्यादा स्पीड से मदद करने पूरी तरह सहायता करेंगी। कोरोना की वैक्सीन के आने के साथ कंपनियों का भरोसा बढ़ा है। आर्थिक जगत में सकारात्मक माहौल बना है, नौकरी और पैकेज में भी बढ़ोतरी हो रही है। देश के सौभाग्य से वर्तमान केन्द्र सरकार का नेतृत्व ईमानदारी की मिसाल है। उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता असाधारण परिस्थितियों में भी कम होने के बजाय बढ़ी ही है।

कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग अपने जमे–जमाए रोजगार से हाथ धो बैठे। यही हाल अन्य उद्योगों का हुआ जिसका खामियाजा मजदूर और ब्लू कॉलर पेशेवरों को समान रूप से भुगतना पड़ा। जो नौकरी में बचे, उन्हें भी वेतन और भत्तों में कटौती का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में लोग दर–बदर हुए और पिछले तीस वर्षों में जितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, उससे कहीं ज्यादा पुनः उसी अभिशप्त स्थिति में लौटने को बाध्य हो गये। ये पीड़ादायक हालात कब सामान्य होंगे, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इस पीड़ादायक हालात से निपटने के लिए विश्व के तमाम देश अपने लोगों को रोजगार देने के लिए अपने ही देश में बने उत्पादों पर जोर देने लगे हैं। एक नया मुहावरा आकार ग्रहण कर रहा है वह है 'आर्थिक राष्ट्रवाद'। मोदीजी भी 'वोकल फॉर लोकल' की वकालत कर रहे हैं।

हाल के दौर की एक अच्छी बात यह है कि भारत के आर्थिक विमर्श में छोटे एवं मझोले उद्यम यानी एमएसएमई को भी बड़ी कंपनियों जितनी महत्ता मिलने लगी है। वे बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। देश में 99% एमएसएमई अत्यंत छोटे स्तर पर सक्रिय हैं। इनमें से आधे ग्रामीण और आधे शहरी क्षेत्रों में फैले हैं। बड़ी कंपनियां लगातार तकनीक में निवेश बढ़ा रही हैं, जिससे रोजगार की गुंजाइश सीमित होती जा रही है। ऐसे में यदि हमें अपनी विशाल आबादी को रोजगार दिलाना है तो छोटे उद्योगों की सेहत सुधारनी होगी। चूंकि हमारे जननांकीय लाभांश का दारोमदार भी इस पर टिका है इसीलिए हमें इन उद्योगों का अस्तित्व बचाने के हरसंभव प्रयास करने होंगे। अच्छी बात है कि 23 दिसंबर, 2020 तक सरकार ने 41,061 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। देश भर में 39,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स के जरिए 4,70,000 लोगों को रोजगार मिला है।

कृषि क्षेत्र में सुधार के लक्षण रहे हैं और कृषि निर्यात भी बढ़ा है। जिन उत्पादों में निर्यात तेजी से बढ़ा है, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देश का वित्तीय आधार मजबूत है तथा विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। संसद में पेश आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सबसे मुश्किल दौर से निकल चुकी है और आगे हालात तेजी से बेहतर होते जाएंगे। कोरोना और लॉकडाउन की जकड़न के चलते वर्ष 2020–21 में जीडीपी में 7.7% की गिरावट होने का अनुमान बताते हुए सर्वे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था वी शेप्ड रिकवरी (तेज गिरावट के बाद उतनी ही तेजी से ऊपर आने का रुझान) दर्शा रही है। इस लिहाज से अगले वित्त वर्ष 2021–22 में जीडीपी में 11% की विकास दर देखने को मिल सकती है।

अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदें केवल अनुमान भर न रहें। विकास की रफ्तार लौटाने के लिए युवाओं को रोजगार और उद्यम में लगाना होगा। अर्थव्यवस्था में पूरा सुधार देखने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन, निवेश, निगरानी और नवाचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सेना के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। भारत की सभी सेनाएं सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन युद्ध मशीनें हैं। अपनी सेनाओं की ज्यादातर जरुरतों को भारत में ही पूरा किया जा सके, इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं। 100 से ज्यादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तैयार किया जा रहा है। अब भारत का अपना तेजस फाइटर प्लेन भी समंदर से लेकर आसमान तक अपना तेज फैला रहा है। हाल में वायुसेना के लिए 80 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, कृत्रिम बुद्धि आधारित संघर्ष में भी भारत किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए हर जरूरी शोध एवं विकास पर फोकस किया जा रहा है। वो दिन अब दूर नहीं जब भारत रक्षा उपकरण के बड़े मार्केट के बजाय एक बड़े निर्माता के रूप में जाना जाएगा।

पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2014 से 2019 तक भारत ने 16.75 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों का आयात किया। भारत विश्व में हथियाररों का दूसरा बड़ा आयातक देश है। केन्द्र सरकार ने सौ से अधिक हथियारों एवं उससे संबंधित सामान के आयात पर प्रतिबंध ही नहीं लगाया, बल्कि देश में ही उनके उत्पादन को प्रोत्साहन भी दिया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की असीम संभावनाओं पर खरा उतरते हुए देश में उच्च तकनीक युक्त तोप, हल्के लड़ाकू विमान, मिसाइल आदि का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बाद न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि उसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए भी हो सकेगा। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत रक्षा क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा, बल्कि भारत एक निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। बजट में रक्षा क्षेत्र में 4.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन बताता है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है।

अब भारत, आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की ये आकांक्षा, वैश्वीकरण को नए सिरे से मजबूत करेगी। इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। विशेषज्ञ बताते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के चार मुख्य कारक होने वाले हैं– कनेक्टिविटी, स्वचालन, कृत्रिम बुद्धि या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डाटा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है, जहां के दूर–दराज क्षेत्रों में भी मोबाईल कनेक्टिविटी है, स्मार्ट फोन है। भारत का ऑटोमेशन, डिजाइन का एक्सपर्ट पूल भी बहुत बड़ा है और ज्यादातर वैश्विक कंपनियों के इंजीनियरिंग सेंटर भी भारत में हैं। कृत्रिम बुद्धि तथा मशीन लर्निंग में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कई बरसों से अपनी क्षमता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं।

बीते 6 वर्षों में भारत में जिस तरह डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है, उसने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास आधार है। लोगों के बैंक अकाउंट और आधार, उनके फोन से जुड़े हैं। अभी दिसंबर 2020 के महीने में ही भारत में 4 ट्रिलियन रुपए का लेन–देन यूपीआई से हुआ है। यहां जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से दुनिया के बड़े–बड़े देश, भारत द्वारा विकसित यूपीआई व्यवस्था को अपने यहां दोहराने का प्रयास कर रहे हैं।

कोरोना संकट के दौरान अनेक देश परेशान थे कि अपने नागरिकों तक सीधे आर्थिक मदद कैसे पहुंचाएं? इसी दौरान भारत ने 760 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन रुपए से अधिक सीधे अंतरित किए। ये भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत का उदाहरण है। मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को सक्षम भी बनाया है और पारदर्शी भी बनाया है। अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को स्वास्थ्य देखरेख की सरलता के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का भी अभियान शुरू कर रहा है।

बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है। उज्ज्वला योजना में आठ करोड़ महिलाओं तक मुफ्त रसोई गैस पहुंचाने के बाद अब एक करोड़ अन्य लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। बजट में 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट का निर्णय केन्द्र सरकार के मानवतावादी नजरिये का प्रतीक है। मतस्य उद्योग से जुड़े लोगों के हित में पांच नए बंदरगाह बनाने और प्रवासी मजदूरों के डाटा को एकीकृत करने का प्रस्ताव है, जिससे वे एक देश–एक राशन कार्ड का लाभ उठा सकें। मध्यम वर्ग के हित में सस्ते घर के लिए कर्ज में छूट की अवधि एक साल और बढ़ाई गई है। मोदी जी ने गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, शुद्ध जल, खाद्य सुरक्षा इत्यादि सुविधाएं देने का जो संकल्प लिया है, उसे यह बजट सिद्धि तक ले जाने में सहायक होगा। बेशक, वैश्विक पटल पर भारत की साख को बढ़ाते हुए युगानुकूल आर्थिक सुधारों के साथ सामान्य जन के कल्याण के प्रति इतनी प्रतिबद्ध सरकार पहले कभी नहीं आई। इससे सभी लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव होंगे। अर्थव्यवस्था जैसे–जैसे संकट से उबर रही है, वैसे–वैसे सरकार की राजस्व वसूली में भी सुधार हो रहा है। इससे दिनानुदिन सरकार खर्च बढ़ाएगी जिससे विकास की रफ्तार तेज होगी।

वर्ष 2020 में प्रौद्योगिकी ने मानव जाति को खत्म होने से बचाया है। तकनीक व प्रौद्योगिकी की वजह से ही इस साल जीवन संभव हो सका। कोरोना संकट ने तकनीक व प्रौद्योगिकी के साथ अधिक से अधिक प्रयोग करने को हमें प्रेरित किया है। आने वाले वर्षों में अकल्पनीय तकनीक अपनाने की इच्छा और व्यापक होगी। वर्ष 2020 में हमने देखा कि वर्ष 2021 में आर्थिक ताकत तकनीक व डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की नींव पर ही टिकी होगी। यही वजह है कि चीन के आक्रामक व्यवहार और कोविड–19 के असर के बीच भारत ने अपनी सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के साथ–साथ डिजिटल बुनियादी ढ़ांचे में भी निवेश कर रहे हैं। इसमें 5जी सेवाओं की शुरुआत तकनीकी प्रभावशीलता तथा इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का काम करेगी। इससे सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बैंक और उद्यमशीलता की पहुंच कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। अनुमान है, वर्ष 2026 तक 3.5 अरब 5जी उपभोक्ता होंगे। बजट में भारत नेट योजना के तहत देश की एक लाख ग्राम पंचायतों के हर घर में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए 6000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। यह डिजिटल इंडिया के सपने को अमली जामा पहनाने की कवायद है। पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'पीएम वाणी योजना' को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से सभी लोगों को सार्वजनिक वाई–फाई से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 2021 के अंत तक एक करोड़ हॉटस्पॉट बनाने की उम्मीद है।

विनिर्माण क्षेत्र ही वृद्धि का इंजन बन सकता है बशर्ते शोध एवं विकास द्वारा पुरानी नीतियों में सुधार के साथ इसे प्रोत्साहन दिया जाए। गैस पाइपलाइन, राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, विमानन आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार सृजन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। केन्द्र सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि आत्मनिर्भर संभावना वाले उद्योगों की पहचान कर उनके निर्माण की क्षमता को बढ़ाकर रोजगार को बढ़ाया जा सके। श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोगों को कृषि से उद्योगों की तरफ मोड़कर भी रोजगार सृजन किया जा सकता है। इससे जहां कृषि क्षेत्र पर भार कम होगा तो अन्य उद्योगों का विस्तार भी होगा। आत्मनिर्भर भारत के अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होना होगा और बड़े पैमाने पर युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा।

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने ठीक ही कहा है कि किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में कौशल विकास का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कौशल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा युवाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उद्योगों की मांग के अनुसार कुशल कार्यबल तैयार करके स्किल गैप को भरा जा सकता है। कौशल सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके साथ–साथ समाज और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय राज्य सरकारों, प्रशिक्षण भागीदारों और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसी का परिणाम है कि इन युवाओं ने अपनी क्षमता एवं कुशलता का परिचय देते हुए नवाचार के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए है, जो भविष्य में अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायी साबित होंगे। हमारे युवाओं में वह सामर्थ्य एवं हुनर है जिसके बल पर भारत को विश्व को कौशल राजधानी बनाया जा सकता है। वर्ष 2030 तक भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा कार्यबल होने की उम्मीद है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होगी जिन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है ताकि रोजगार के नए अवसरों में तेजी से वृद्धि की जा सके। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। कौशल हमें रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है, साथ ही स्व–रोजगार के लिए भी प्रेरित करता है। इसमें वह शक्ति है, जिसके द्वारा हम भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कौशल के द्वारा युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।

मोदी जी ने युवाओं को प्रासंगिक रहने के लिए 'स्किल, अपस्किल और रीस्किल' का मंत्र दिया था। इस मंत्र का उपयोग कर युवा दूसरों से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। युवाओं को नई–नई तकनीकों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और जिला स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को अक्तूबर 2020 में कुछ अहम दिशानिर्देशों के साथ लांच किया गया। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आठ लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है। यह मांग और उद्योगों पर आधारित एक ऐसी योजना है जो आधुनिक कौशल पर काम करेगी और जिला स्तर पर युवाओं को सशक्त बनाएगी। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर जॉब की पहचान की जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर जिला कौशल समिति का गठन किया जाएगा। ये समितियां उद्योगों की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर स्किल्स की पहचान करने में अहम भूमिका निभाएंगी तथा विभिन्न स्थानों पर कौशल मेलों का भी आयोजन करेंगी जिसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी। दुनिया के दूसरे देशों में लगभग 37 लाख प्रशिक्षित कामगारों की जरूरत है। भारतीय युवाओं से इसकी आपूर्ति के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तैयारियों में जुट गया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव श्री प्रवीण कुमार के अनुसार दुनिया के विभिन्न देशों में प्रशिक्षित कामगारों की कमी की मैपिंग की जा चुकी है और भारतीय युवाओं को उसके लिए प्रशिक्षित कर भेजने पर काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में 'स्किल इंडिया मिशन' की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान करना था। इस मिशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा युवाओं को नवीन तकनीकों पर आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक एक करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है और कई लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। आज देश भर में 700 से अधिक जिलों में 26,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है जहां पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ–साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 48.7 करोड़

श्रमिक हैं। हमारे देश में ऐसे श्रमिकों की संख्या अधिक है जो अपने काम में निपुण तो होते हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं होते हैं। इसीलिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय संकल्प प्रोजेक्ट के द्वारा ऐसे श्रमिकों को प्रमाणित कर रहा है ताकि उन्हें भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके साथ ही भविष्य के कौशल निर्माण के लिए भी श्रमिकों को तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण पहलों में से एक आरपीएल (रिकगनाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग) के द्वारा भी श्रमिकों के हुनर को एक अलग पहचान मिल रही है। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार आरपीएल प्रमाणीकरण के बाद लगभग 47% लोगों ने स्वीकार किया है कि उनकी आय में वृद्धि हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने आरपीएल प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनमें से 59% उम्मीदवारों ने स्वीकार किया है कि वह उनके कौशल को सशक्त बनाता है और बाजार में उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने में उनकी मदद करता है।

केन्द्र सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के साथ क्रांतिकारी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार–विमर्श कर श्रम सुधारों की पहल की है। पहली बार किसी सरकार ने संगठित के साथ–साथ असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और उनके परिवारों की सुध ली है। इसके साथ ही नौकरी देने और पाने वालों के संबंधों को एक परिवार भाव में पिरोने की कोशिश की है। श्रम सुधार कानून का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को निश्चित वेतन, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और पेंशन की सुरक्षा के दायरे में लाना है। इन सुधारों से अब हर क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर– डिलीवरी ब्वॉय से लेकर मैनेजर और इंजीनियर तक सबको सम्मान के साथ आर्थिक न्याय मिल पाएगा। देश में लगभग 29 करोड़ परिवार और सभी क्षेत्रों में काम करने वालों को मिलाकर लगभग 49 करोड़ श्रम बल है। इसमें 60% काम करने वाली आबादी अर्थात लगभग 30 करोड़ लोग गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। श्रम सुधार सीधे इन 30 करोड़ लोगों पर सकारात्मक असर डालेगा। चार श्रम कानूनों के माध्यम से अब राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। सभी कामगारों को हर महीने की सात तारीख से पहले बैंक ट्रांसफर से वेतन उपलब्ध कराने की मुहिम चलेगी। पुरुष एवं महिला मजदूरों को समान वेतन देना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर 15 करोड़ से अधिक निम्न मध्यमवर्गीय भारतीय परिवारों का जीवन स्तर और मौजूदा आमदनी बढ़ेगी। कंपनियों को तमाम धाराओं और अन्य बिंदुओं में बंटे 44 कानूनों की वजह से श्रम विभाग के दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे। ऐसे में बेकार कानूनों को मोदी सरकार ने रद्द किया और अब सभी श्रम कानूनों को चार कोड में समाहित कर दिया है। श्रम सुविधा के पोर्टल के जरिए उद्योगों को भी ऑनलाइन और फेसलेस रिटर्न की व्यवस्था की गई है। उद्योग जगत को मिली सहूलियत से लाखों घंटे मानव श्रम की बचत होगी। इससे श्रम विवादों की संख्या कम होगी। कारोबारी सुगमता से भारत की रैंकिंग सुधरेगी और विदेशी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

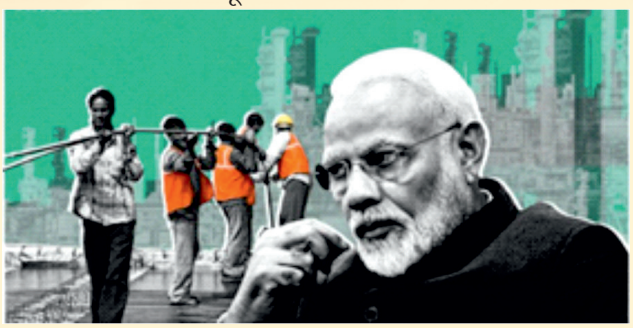

संसद द्वारा पारित नई श्रम संहिता के मुताबिक बदलाव सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आजकल जोरों पर चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले वित्तीय वर्ष से ये बदलाव लागू हो जाएंगे। सैलरी स्ट्रक्चर के तार्किकीकरण किए जाने से सैलरी मद में वृद्धि होने पर कर्मचारियों की पीएफ राशि बढ़ जाएगी। इन कानूनों में ओवरटाइम की नई सीमा भी तय की गई है। नए प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय से 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो संबंधित कर्मचारी का ओवरटाइम बन जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर का नियमितीकरण बहुत जरूरी है जो इस कवायद से पूरी हो सकती है। अभी देश में विभिन्न कंपनियों के सैलरी स्ट्रक्चर में कोई तालमेल ही नहीं होता। किस कर्मचारी का वेतन कितना तय हुआ है, उसे किन भत्तों के नाम पर कितना पैसा दिया जाता है और कब किस आधार पर उनमें कटौती हो जाती है, यह कंपनी विशेष की नीतियों पर निर्भर करता है।

कामगारों के लिए काम के घंटे को लचीला बनाने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए हफ्ते में चार दिन कार्यस्थल पर जाने और शेष तीन दिन अवकाश देने संबंधी योजना पर आगे बढ़ रही है। यदि योजना हकीकत बनता है तो हम कई सुधारों के गवाह बन सकते हैं। तीन दिन के अवकाश में कामगार अपने घर–परिवार को पूरा वक्त दे सकेगा। इससे उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। मानव विकास सूचकांक पर भी इसका सकारात्मक असर दिखता है। कार्यक्षेत्र में कर्मचारी की भागीदारी से ही उसकी मौलिक भौतिक जरूरतें पूरी होती हैं। इस भागीदारी में उसे मिलने वाला तनाव या सुख उसकी जीवनशैली को प्रभावित करता है। दरअसल, कार्यस्थल पर हैप्पीनेस अनिवार्य है। कार्यस्थल पर 'हैप्पीनेस' बढ़ाने यानी कामकाज में तनाव घटाने को लेकर दुनिया भर की सरकारें संजीदा हैं। भारत में भी अब इस सोच को महत्व मिला है।

किसी देश के विकास में बुनियादी संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योगों के विकास का सीधा प्रभाव देश के प्रगति को प्रभावित करता है। इसके लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता होगी जो एफडीआई एवं विनिवेश के बिना बहुत मुश्किल है।

बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घ अवधि की पूंजी उपलब्ध करवाने में बीमा क्षेत्र अहम भूमिका निभा सकता है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% करने से इस क्षेत्र को नई पूंजी प्राप्त करने और कारोबार बढ़ाने के साथ–साथ इसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

आज देश आर्थिक महाशक्ति बनने को तैयार है। मोदी सरकार ने पारदर्शी और सुगम व्यवस्था देकर आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है और आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 1.18 लाख करोड़ रुपए के बजट से राजमार्गों के विस्तार को नई गति मिलेगी। रेलवे को अगले एक दशक की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए रिकार्ड 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके साथ ही जलमार्गों, बंदरगाहों के विकास हेतु पूंजी निवेश और पीपीपी मॉडल के जरिये अनेक कदम उठाए गए है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में 34.5% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने स्टार्ट–अप को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें 31 मार्च 2022 तक टैक्स जमा करने से राहत दी है। अर्थव्यवस्था की धूरी और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले लघु एवं मध्यम उद्योगों की मजबूती के लिए भी कई कदम उठाए गए है। साथ ही बैंकिंग तंत्र में सुधार, ऋण प्राप्ति की सुगमता एवं आर्थिक विवादों के निपटारे के कदम उठाकर आर्थिक उन्नति को सुगम बनाया गया है। इन कदमों के परिणामस्वरूप विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है। पिछले तिमाही में यह 24.6 अरब डॉलर तक पहुंचा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान की जगह समस्या ज्यादा पैदा करता है। इसलिए सरकार का प्रयास इस वर्ष केन्द्र और राज्य स्तर के छह हजार से अधिक कारोबारी नियमों (अनुपालन) को कम करने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि नियमों के पालन का बोझ घटना चाहिए और सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है। इसलिए हर चीज के लिए बार–बार फार्म भरने की प्रक्रिया को सरकार खत्म करना चाहती है। सरकार का जोर देश के नागरिकों पर भरोसा कर आगे बढ़ने पर है। इसलिए स्व–नियामक, स्व–सत्यापन और स्व–प्रमाणीकरण पर जोर दिया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में दो लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे आने वाले पांच वर्षों के दौरान देश में लगभग 520 अरब डॉलर यानी लगभग 40 लाख करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादन का अनुमान है। पीएलआई स्कीम से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के भी दोगुना होने की उम्मीद है। पीएलआई स्कीम से एमएसएमई को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि हर सेक्टर में प्रमुख यूनिट लगेंगे और प्रमुख युनिटों को सप्लाई चेन की जरूरत होगी, जो एमएसएमई पूरी करेंगे।

बजट देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र, हर समुदाय की आकांक्षाओं को पंख देकर नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने वाला है। बजट में सीमित संसाधनों के बीच समग्र विकास की ईमानदार कोशिश की गई है। बजट में किसी एक सेक्टर नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लाभ के बारे में सोचा गया। जब अर्थव्यवस्था में 11% की दर से विकास होगा तो सबको फायदा होगा। देश से कुछ भी छिपाया नहीं गया है, चाहे वह कर्ज की बात हो या फिर सब्सिडी की। जहां तक सब्सिडी का सवाल है तो एक रुपया सब्सिडी पर खर्च करने से अर्थव्यवस्थाा में 98 पैसे जुड़ते हैं वहीं, पूंजीगत खर्च करने पर अर्थव्यवस्था में 2.5 रुपए जुड़ते हैं। अगले वित्त वर्ष में 5.59 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च के लिए है, जो जीडीपी का 2.5% है। इस प्रकार अगले वित्त वर्ष में 6.25% का विकास सिर्फ पूंजीगत खर्च से होगा।

यह सभी वर्गों, खासकर युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे–बड़े उद्यमियों की आशाओं–आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। सरकार ने पहली प्राथमिकता में जन–स्वास्थ्य को रखा था। उसके प्रयासों की बदौलत आज हम कोरोना की मार से काफी हद तक निकलने की स्थिति में आ गए हैं। केन्द्र सरकार ने इसकी भी चिंता की है कि गरीब, ग्रामीण लोगों तक लाभ धनराशि के रूप में सीधे पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत योजना ने इस कार्य को तीव्रता से आगे बढ़ाया। अगला कदम था कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को जो धक्का लगा, उसे तुरुस्त करना इसमें भी सरकार काफी हद तक सफल होती दिख रही है। बजट के जरिए मोदी जी विकास की राजनीति की एक नई इबारत लिख रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कविता का उद्धरण दिया। इस कविता का अर्थ था कि चिड़ियों को पौ फटने से पहले ही रोशनी का आभास हो जाता है और वे चहचहाने लगती हैं। कोरोना महामारी से देश जिस तरह निपटा, चीन को सीमा पर जिस तरह का जवाब दिया गया, वैक्सीन के विकास और टीकाकरण में जिस तरह की शुरुआत हुई और अब बजट के जरिये आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह की पहल हुई, वह नए भारत के अभ्युदय का संकेत है। मोदी जी ने न केवल इस संकेत को पहचान लिया है, बल्कि इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। आने वाला समय भारत का है और उसके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। यह बात तमाम दुनिया को नजर आ रही है।

आज देश की अर्थव्यवस्था पुनः विकास पथ पर अग्रसर हो गई है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट हो या वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट, सभी आर्थिक मोर्चे पर देश की मजबूत होती स्थिति को दर्शाती है। पर्चेज मैनेजर इंडेक्स भी उद्योगों की बढ़त ही दर्शा रहा है। इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन सूचकांक आठ क्षेत्रों में विकास की अच्छी दर दर्शा रहा है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, लेबर मार्केट और रेवेन्यू डाटा हर मोर्चे पर सुधार दिख रहा है। पिछले साल रुकी पड़ी कई आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने की उम्मीद है जिससे विकास को लेकर अनुमान मजबूत हुआ है। आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार भी भारत की जीडीपी अगले वर्ष 11.5% से बढ़ेगी और भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

बजट में इस मजबूत आर्थिक आधार को और समर्थन देने की आवश्यकता थी जिसको वित्तमंत्री जी ने बखूबी निभाया है। कोरोना की विषम परिस्थिति में मोदी जी ने भारत की क्षमता को पहचानते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प देश के सामने रखा। यह बजट आत्मनिर्भरता के उसी संकल्प को सिद्ध करने की कड़ी है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्व–समावेशी और देश के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित बजट में स्वास्थ्य और कल्याण, वित्तीय पूंजी, समावेशी विकास, मानव पूंजी का विकास, अनुसंधान तथा विकास और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बजट में ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपए दिए थे जबकि इस वर्ष 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है जो पिछली बजट से 34% अधिक है। सड़क, रेल, हवाई अड्डा, पुल आदि के निर्माण में खर्च धनराशि से व्यापार में सुविधा और दैनिक जीवन–यापन में सहूलियत होती है। इस बढ़े हुए खर्च से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम तरह के सामान में तेजी आएगी, उद्योगों का विस्तार होगा और नौकरियों का सृजन भी होगा। सात मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है जिससे काफी संख्या में रोजगार सृजन होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मोदी सरकार ने अपने खर्च को 137% बढ़ाया है। आज कोरोना की दो वैक्सीन भारत में बन रही है और आने वाले समय में भारत वैक्सीन और दवाइयों के क्षेत्र में एक विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत ने सबसे लंबी छलांग स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाई है। अमूमन एक वैक्सीन की खोज में चार–पांच वर्ष लग जाते हैं। सीरम इंडिया एवं भारत बायोटेक द्वारा मात्र दस महीने में कोविड महामारी की दो–दो स्वदेशी वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नव प्रवर्तन और शोध एवं विकास में भारत विश्व के किसी भी देश से कम नहीं है।

सौ से ज्यादा सैनिक स्कूल खोलने, हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन करने तथा पन्द्रह हजार स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा को मजबूत करेगा। आदिवासी इलाकों में अड़तीस हजार करोड़ रुपये की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खाले जाने का प्रयास भी बहुत अच्छा है।

1938 से चले आ रहे बीमा कानून में बदलाव किया गया है। बीमा सेक्टर में एफडीआई की नीति में बदलाव लाया गया है। समय की मांग थी कि सरकार अपने व्यय बढ़ाए और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे। विनिवेश पर स्पष्ट पॉलिसी लाकर सरकार धनार्जन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मान्यता यह है कि जिन क्षेत्रों में सरकार का कोई विशेष औचित्य नहीं है उन्हें विनिवेश करना उचित होगा। सच्चाई यही है कि रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों को छोड़ दें तो सरकार को कारोबार से किनारा करने में ही भलाई है। मार्च 2004 में सार्वजनिक कंपनियों की कुल बाजार पूंजीकरण में हिस्सेदारी लगभग 31.6 प्रतिशत थी, वर्ष 2019 यानी मात्र 15 वर्ष में ये हिस्सेदारी घटकर 11 प्रतिशत ही रह गई। इन आंकड़ों के आधार पर जानकारों का कहना है कि इन कंपनियों पर जनता के खून–पसीने से अर्जित धन फूंकने से बेहतर है कि भारत जैसे विकासशील देश में लोगों के कल्याण पर खर्च बढ़ाया जाए। जीएसटी का कर संग्रह पिछले तीन महीनों में एक लाख करोड़ से ऊपर रहा है जिससे विकास एवं जन–कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। सरकार ने हर तरह से देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की कोशिश की है। वास्तव में आम बजट जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाला है। आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने वाले इस बजट का लक्ष्य आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की मूलभूत समस्याओं का समाधान तलाशना है।

बेशक प्रतिस्पर्धा, योजना बनाने तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। उनमें निर्णय लेने का साहस है। किसानों की आय दोगुना करने तथा भारत को पांच खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। अर्थव्यवस्था के लिए जो निर्णय लिए गए हैं, उसके सुखद नतीजे आने वाले वर्षों में मिलेंगे। यह दर्शाता है कि मोदी जी देश के आर्थिक विकास का इतिहास दोबारा लिखने जा रहे हैं। पाकिस्तान तथा चीन से जिस प्रकार भारत निपटा है, वह अपने आप में उदाहरण है। पहले भी ऐसे हालात पैदा हुए हैं तथा तब कैसे निपटा गया था, इसका जिक्र करना ठीक नहीं होगा।

कहानी

आकाशदीप

जयशंकर प्रसाद*

''बंदी!''

''क्या है? सोने दो।''

''मुक्त होना चाहते हो?''

''अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो।''

''फिर अवसर न मिलेगा।''

''बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता।''

''आंधी की संभावना है। यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं।''

''तो क्या तुम भी बंदी हो?''

''हां, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल दस नाविक और प्रहरी हैं।''

''शस्त्र मिलेगा?''

''मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जु काट सकोगे?''

''हां।''

समुद्र में हिलोरें उठने लगीं। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक–दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा–स्नेह का असंभावित आलिंगन। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा– ''यह क्या? तुम स्त्री हो?''

''क्या स्त्री होना कोई पाप है?'' – अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा।

''शस्त्र कहां है – तुम्हारा नाम?''

''चंपा।''

तारक–खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर, फिर लुढ़कते हुए, बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ–प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा – ''आंधी!''

आपत्ति–सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था। पर बंदी युवक लुढ़ककर उस रज्जु के पास पहुंचा, जो पोत से संलग्न थी। तारे ढंक गए। तरंगे उद्वेलित हुईं, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी, पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक–क्रीडा और अट्टहास करने लगी।

एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिला कर हंस पडे। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका।

अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं। बंदी मुक्त हैं।

नायक ने कहा – ''बुधगुप्त! तुमको मुक्त किसने किया?''

कृपाण दिखाकर बुधगुप्त ने कहा – ''इसने।''

नायक ने कहा – ''तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊँगा।''

''किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा – नायक! अब इस नौका का स्वामी मैं हूं।''

''तुम? जलदस्यु बुधगुप्त? कदापि नहीं।'' – चौंककर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा! चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पडा।

''तो तुम द्वंद्वयुद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा, वह स्वामी होगा।'' – इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया।

भीषण घात–प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गतिवाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाण दाँतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए। परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटि में डाल, उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आँखें प्राण–भिक्षा माँगने लगीं।

बुधगुप्त ने कहा – ''बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं?''

''मैं अनुचर हूं, वरूणदेव की शपथ। मैं विश्वासघात नहीं करूँगा।'' बुधगुप्त ने उसे छोड़ दिया।

चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना–विहीन कर दिया। बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त–बिंदु विजय–तिलक कर रहे थे।

विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा, ''हम लोग कहाँ होंगे?''

''बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के

* *प्रसिद्ध साहित्यकार*

पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना–जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है।''

''कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे?''

''अनुकूल पवन मिलने पर दो दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा।''

सहसा नायक ने नाविकों को डाँड़ लगाने की आज्ञा दी, और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त के पूछने पर उसने कहा – ''यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है।''

''तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया?''

''वाणिक मणिभद्र की पाप–वासना ने।''

''तुम्हारा घर कहाँ है?''

''जाह्नवी के तट पर। चंपा–नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। आठ बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही सात दस्युओं को मारकर जल–समाधि ली। एक मास हुआ, मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर, एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ – अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाईं। उसी दिन से बंदी बना दी गई।'' – चंपा रोष से जल रही थी।

''मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ, चंपा! परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी?''

मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाए।'' – चंपा की आँखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या–व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर काँप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र–वृक्ष पर विलंबमयी राग–रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दान्त दस्यु ने देखा, अपनी महिमा में अलौकिक एक तरूण बालिका! वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला। वह थी – कोमलता!

उसी समय नायक ने कहा – ''हम लोग द्वीप के पास पहुँच गए।''

बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पडी। माँझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा – ''जब इसका कोई नाम नहीं है, तो हम लोग इसे चंपा–द्वीप कहेंगे।''

चंपा हँस पडी।

पाँच बरस बाद.....

शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरदलक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया।

चंपा के एक उच्चसौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी।

बड़े यत्न से अभ्रक की मंजुषा में दीप धर कर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढने लगा। भोली–भोली आँखें उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देख रही थीं। डोरी धीरे–धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशाभरी आँखें फिरा लीं।

सामने जल–राशि का रजत श्रृंगार था। वरूण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल–मालाएँ बन रही थीं – और वे मायाविनी छलनाएँ – अपनी हँसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं।

दूर–दूर से धीवरों का वंशी–झनकार उनके संगीत–सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्तव्यस्त था! वह अपनी पूर्णता के लिए सैंकड़ो चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खडी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा – ''जया!''

एक श्यामा युवती सामने आकर खडी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल – से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दाँत हँसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती, बुधगुप्त की आज्ञा थी।

''महानाविक कब तक आयेंगे, बाहर पूछो तो।'' चंपा ने कहा। जया चली गई।

दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा – ''बुधगुप्त! ''

''बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो, तुम्हें यह काम करना है?''

''क्षीरनिधिशायी अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊँ?''

''हँसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको, जिसको तुमने भगवान मान लिया है?''

''हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो, बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते?''

''तो बुरा क्या हुआ, इस द्वीप की अधीश्वरी चंपारानी!''

''मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक! परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है, जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा

के उपकूल में पण्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे – इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में – थिरकती थी। बुधगुप्त! उस विजन अनंत में जब माँझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम–तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक–दूसरे का मुँह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया ... ''

''तो चंपा! अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो।''

''नहीं – नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हँसी उड़ाते हो। मेरे आकाषदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। नाविक! उस प्रचंड आँधी में प्रकाश की एक–एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे – मेरी माता मिट्टी का दीपक बाँस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बाँस के साथ ऊँचे टाँग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती – ''भगवान! मेरे पथ–भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना।'' और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते – ''साध्वी! तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है।'' वह गद्‌गद हो जाती। मेरी माँ? आह नाविक! यह उसी की पुण्य–स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण, जल–दस्यु! हट जाओ।'' – सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हँस पडा।

''यह क्या, चंपा? तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो।'' – कहता हुआ चला गया। चंपा मुठ्ठी बाँधे उन्मादिनी–सी घूमती रही।

निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकरा कर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था।

चंपा और जया धीरे–धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त–व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी–सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध–सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी।

''इतना जल! इतनी शीतलता! हृदय की प्यास न बुझी। पी सकूँगी? नहीं! तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूँ? या जलते हुए स्वर्ण–गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊँ?'' – चंपा के देखते–देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे–धीरे सिंधु में चौथाई–आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निःश्वास लेकर चंपा ने मुँह फेर लिया। देखा, तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ गई। दोनों पास–पास बैठ गए।

''इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ जाती, चंपा तो?''

''अच्छा होता, बुधगुप्त! जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है।''

''आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो! बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो, वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो... कहो, चंपा! वह कृपाण से अपना हृदय–पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे।'' – महानाविक – जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाष गूँजता था, पवन थर्राता था – घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आँखों से बैठा था।

सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल–देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नीलजाल का कुहक स्फुट हो उठा। जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया।

''बुधगुप्त! आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार–बार धोखा दिया!'' – चमककर वह कृपाण समुद्र का हृदय वेधता हुआ विलीन हो गया।

''तो आज से मैं विश्वास करूँ, क्षमा कर दिया गया?'' – आश्चर्य–कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा।

''विश्वास? कदापि नहीं, बुधगुप्त! जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ? मैं तुम्हें घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु। तुम्हें प्यार करती हूँ।'' – चंपा रो पड़ी।

वह स्वप्नों की रंगीन संध्या, तम से अपनी आँखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निःश्वास लेकर महानाविक ने कहा – ''इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश–गृह बनाऊंगा, चंपा! यहीं उस पहाड़ी पर। संभव

है कि मेरे जीवन की धुँधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए! ''

चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु–जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि–निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वनदेवी–सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत–से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन–कुसुम–विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी।

शैल के एक ऊँचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप–स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खडा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बाँसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम–भूषण से सजी वन–बालाएँ फूल उछालती हुई नाचने लगीं।

दीप–स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा – ''यह क्या है जया? इतनी बालिकाएँ कहाँ से बटोर लाई?''

''आज रानी का ब्याह है न?'' – कहकर जया ने हँस दिया।

बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोरकर चंपा ने पूछा – ''क्या यह सच है?''

''यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो यह सच भी हो सकता है, चंपा! कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ।''

''चुप रहो, महानाविक! क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा?''

''मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ, चंपा! वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे!''

''यदि मैं इसका विश्वास कर सकती। बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय! आह! तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते !''

जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक–दूसरे के सामने बैठे थे।

बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा – ''चंपा, हम लोग जन्मभूमि– भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शशि के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश! वह महिमा की प्रतिमा! मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ! मेरा पत्थर–सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि ही तरह द्रवित हुआ।''

''चंपा! मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु–बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हँसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हँस सका!''

''चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी–सी जन्मभूमि के अंक में? आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत–पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुँचा देंगी। आह चंपा! चलो।''

चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पलभर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा – ''बुधगुप्त! मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक! तुम स्वदेश लौट जाओ, विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे, छोड़ दो इन निरीह भोले–भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए।''

''तब मैं अवश्य चला जाऊँगा, चंपा! यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूँ – इसमें संदेह है। आह! उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए।'' – महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा – ''तुम अकेली यहाँ क्या करोगी?''

''पहले विचार था कि कभी–कभी इस दीप–स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूँगी। किंतु देखती हूँ, मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप।''

एक दिन स्वर्ण–रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप–स्तंभ पर से देखा – सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम–उत्तर की ओर महाजल–व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे।

यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप–स्तंभ में आलोक जलाती रही। किंतु उसके बाद भी बहुत दिन, द्वीपनिवासी, उस माया–ममता और स्नेह–सेवा की देवी की समाधि–सदृश पूजा करते थे।

एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया।

कोरोना काल के श्वेत एवं स्याह पहलू

नीरज शर्मा*

कोरोना वायरस (कोविड–19) चीन से शुरू होकर एक वैश्विक महामारी बन चुका है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका, इटली जैसे विकसित देश हों या फिर भारत जैसा विकासशील देश, सभी को कोरोना का कहर झेलना पड़ा। कोरोना ने अब तक दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगियां लील ली हैं। कोरोना के खौफ का आलम यह रहा कि प्रत्येक प्रभावित देश में गांव से लेकर शहरों तक सभी को लॉकडाउन कर दिया गया जिससे कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में पूर्ण लॉकडाउन की घोशणा की जिससे भारतवासियों की जान की रक्षा की जा सके। लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया, सड़कों पर गाड़ियां चलनी बंद हो गईं, जिंदगी एक तरह से थम सी गई। कोरोना की वजह से देश और दुनिया की रफ्तार पर लगे इस इमर्जेंसी ब्रेक से दुनिया भर के देशों में न केवल आर्थिक नुकसान हुआ अपितु इससे लाखों लोगों को शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा; खासकर बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों को, जो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे थे। कोरोना की दवाई आ जाने के बावजूद अभी भी पूरी दुनिया के सामने बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं। परंतु जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, और कोरोनाकाल की अनेक दुश्वारियों की बावजूद कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के स्याह पहलू के साथ–साथ कुछ श्वेत पहलू भी दुनिया के सामने निकलकर सामने आए, जिनके संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं:

कोरोना काल के स्याह पहलू

स्वास्थ्य संकट

कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद हुए और लगा कि जैसे सब कुछ रुका हुआ है। भागती–दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। इस बीच चिंता, डर, अकेलेपन और अनिश्चितता का माहौल बनने से लोग और अधिक परेशान हुए। ऐसे में जो पहले से किसी बीमारी में ग्रसित था, उसके हालात बद से बदतर हो गए। भारत स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता व पहुंच के मामले में विश्व में काफी निचले पायदान पर है। विडंबना है कि आजादी के सात दशक बाद भी हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हो सका है। दरअसल हमारे देश का संविधान समस्त नागरिकों को जीवन की रक्षा का अधिकार तो देता है लेकिन जमीनी हकीकत बिलकुल इसके विपरीत है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा की ऐसी लचर स्थिति के कारण कोरोना काल के शुरु में इस वायरस ने बहुत तेजी से लोगो की संक्रमित किया। भारत में जहां करोड़ों लोग संक्रमित हुए, वहीं लाखों लोगों की जानें नहीं बचायी जा सकीं।

बेरोजगारी

कोरोना काल में सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का रहा। चाहे फैक्ट्रियां, कारखाने, कार्यालय हों या फिर दुकान, हर जगह के कामगारों, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों, रेहड़ी–पटरी वालों और दिहाड़ी मजूदरों पर कोरोना काल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत से कारखाने बंद हो गए या फिर लोगों को निकाल दिया गया जिससे हजारों लाखों लोगों के रोजगार छिन गए थे। देश की बहुत बड़ी आबादी आर्थिक तंगी का शिकार हुई। समाज का 70 प्रतिशत आज गरीबी की रेखा के नीचे जाने की स्थिति में पहुंच गया, कोरोना संकट के कारण बेरोजगारी के बढ़ने की दर में लगातार वृद्धि देखी गई।

कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

कृषि प्रधान भारत में कोरोना काल में किसान भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। किसानों की कई प्रकार की तैयार फसलें खराब हो गयीं क्योकि यातायात भी बंद हो गए थे एवं मजदूर भी नहीं मिल पा रहे थे। फलों एवं सब्जियों को मंडियों तक पहुचाने में बहुत परेशानियाँ का सामना करना पड़ा।

गरीबों पर मार

कोरोना काल में गरीबों को बहुत संकट का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा

* *एडमिन एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

गरीबों को भोजन एवं खाद्य सामग्री प्रदान की गई तथा सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों ने भी इसमें बढ़–चढ़ कर भाग लिया। इसके बावजूद भी ठेले, रेहड़ी, पटरी वालों एवं मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इनकी संख्या बहुत बड़ी थी। ठेले, रेहड़ी, पटरी वालों एवं मजदूरों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे जिस कारण उन्हें पैदल ही अपने गाँव की ओर पलायन करना पड़ा। पलायन करते वक्त अनेकों लोग दुर्घटना का शिकार भी हुए।

शिक्षा पर असर

कोरोना काल में स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए तथा ऑनलाइन शिक्षा प्रारम्भ की गई। ऑनलाइन शिक्षा इतनी प्रभावी नहीं है जितनी कि कक्षा–कक्ष शिक्षा। इसके अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली एवं ब्रॉडबैंड, इंटरनेट का भी अभाव था जिससे कोरोना काल का शिक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के बंद होने से विश्व की तकरीबन 94 प्रतिशत छात्र आबादी प्रभावित हुई है और निम्न तथा निम्न–मध्यम आय वाले देषों में यह संख्या 99 प्रतिशत है। इसके अलावा इस महामारी ने शिक्षा प्रणाली में मौजूद असमानता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस महामारी के कारण निम्न आय वाले देशों की कमजोर एवं संवेदनशील आबादी इस वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान निम्न आय वाले देशों में प्राथमिक स्तर पर तकरीबन 86 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हो गए, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह आँकड़ा केवल 20 प्रतिशत रहा।

अर्थव्यवस्था

कोरोना संकट से पूरे विश्व की दिनचर्या में रोक लग गयी, आयात–निर्यात बंद हो गया जिससे भारत समेत सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी। भारत सरकार द्वारा जनमानस की भलाई के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता युक्त योजनाएं लागू की गईं जोकि भारत सरकार पर अतिरिक्त भार था। भारत में एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले धीरे–धीरे बढ़ने लगे तो दूसरी तरफ रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले धीरे–धीरे कम होती गई। पहले से ही आर्थिक मंदी की तरफ जा रही भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कोरोना संकट चुनौती की तरह खड़ा हो गया।

कोरोना काल के श्वेत पहलू

सड़क दुर्घटनाओं और इनकी वजह से होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट

लॉकडाउन की वजह से देश में यातायात पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। सड़कों पर जरूरी गाड़ियों के अलावा सभी की आवाजाही बंद हो गई जिसके फलस्वरूप सड़क दुर्घटना के मामले पूरी तरह से घट गए। आम दिनों में जहां रोजाना सैकड़ों सड़क दुर्घटनाओं की खबरें आती थीं और इनमें अनेक लोगों की मौत हो जाती थी, गाड़ियों पर ब्रेक लगने के साथ ही इन घटनाओं पर भी ब्रेक लग गया। रोड़ रेज की घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। साथ ही, वाहनों से निकलने वाले धुएं से लोगों को अस्थायी तौर पर निजात मिल गई और वायु की गुणवत्ता में अप्रत्याशित सुधार देखने को मिला।

अपराध की घटनाएं भी शून्य के करीब हो गई

लॉकडाउन में लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया। पहले जहां आपको चेन स्नैचिंग, लूटपाट, मारपीट, गैंगवार, रेप और हत्या जैसी तमाम घटनाएं रोजाना सुनने को मिलती थीं, लॉकडाउन के दौरान इन घटनाओं में भी भारी कमी आई। पहले आए दिन आपको इससे जुड़ी खबरें टीवी, अखबार या डिजिटल प्लैटफॉर्म पर मिल जाती थीं, लेकिन कोरोना काल में इनके बारे में आपको शायद ही कोई खबर मिली हो। लॉकडाउन के दौरान क्राइम रेट न के बराबर हो गया।

डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंचने वालों की संख्या में कमी

एक आम दिन में आपको गली, चौराहे या शहर के हर डॉक्टर के पास मरीजों की भीड़ दिखती रही होगी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद भी मरीजों की संख्या में भी अप्रत्याशित कमी देखी गई । दरअसल, लॉकडाउन की वजह से स्ट्रीट फूड, चाट–समोसे की दुकानें बंद हो गयीं। हर छोटी समस्या के लिए भी डॉक्टर के पास भागने वाले लोग भी शांति से घरों में बैठे थे। नजला, खांसी जैसी छोटी–मोटी समस्याओं के लिए भी लोगों ने घरेलू नुस्खों का सहारा ज्यादा लिया। घर से बाहर न निकलने की वजह से लोगों का फास्ट फूड, जंक फूड खाना बंद हो गया और लोगों ने घरों में रहकर स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन अपनाना शुरु किया जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द या पेट में गैस बनने जैसी समस्याओं से उनको राहत मिल गई। अच्छा खाने का फायदा हमारी सेहत को भी हुआ। इसमें कोई दो राय

नहीं कि लॉकडाउन का लोगों की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

लोगों की बचत बढ़ गई

लॉकडाउन में जरूरी सामानों की दुकानों के सिवाय सब कुछ बंद था। निश्चित तौर पर कई सारे लोगों की आमदनी भी इसी के साथ बंद हो गई। लेकिन अगर इसको थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर समग्रता में विचार किया जाए तो अनेकों लोगों का खर्चा कम भी हुआ जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास के लोगों को हुआ। लॉकडाउन के दौर में मॉल, सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, एम्यूजमेंट पार्क जैसी सेवाएं बंद हो गईं जिससे लोगों का पैसा बचा। ऐसा भी नहीं है कि इन सुविधाओं के बंद होने से लोगों की जिंदगी रुक गई, वे आराम से जी रहे थे क्योंकि दैनिक इस्तेमाल के लिए जरूरी चीजें अब भी मुहैया हो रहीं थी। कुल मिलाकर ये चीजें इंसान के जीवन में अति आवश्यक नहीं होती हैं, इसीलिए इनके बंद होने से जिंदगी पर कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा, अलबत्ता पैसे जरूर बचे।

गंगा, यमुना व अन्य नदियां प्रदूषण मुक्त हो गई

जीवनदायनी गंगा एवं यमुना नदी में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ चुका था एवं अन्य नदियों का भी यही हाल था। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गईं तो उनसे निकलने वाले रसायन युक्त अवशेष भी उस समय नदियों में नहीं जा रहे थे। लोगों का नदियों के किनारे आना–जाना भी बंद हो गया, जिसकी वजह से नदी किनारे प्लास्टिक व अन्य कचरों में भारी कमी आई। लॉकडाउन के बाद नदियों का पानी इतना साफ और स्वच्छ हो गया कि जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी। नदियों की सफाई के लिए जो काम करोड़ो रुपए की योजनाएं नहीं कर पाईं, उसे लॉकडाउन ने कर दिखाया। कमोबेश देश की हर नदी का यही हाल रहा, सब पहले की तुलना में ज्यादा साफ और स्वच्छ हो गईं।

हवा और प्राकृतिक वातावरण का शुद्धिकरण

गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बंद, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बंद, कार्यालयों में घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) लागू होने के बाद कार्यालयों में लगे भारी संख्या में एसी बंद थे जिसका साफ असर हवा और हमारे पर्यावरण पर दिखा था। हवा पूरी तरह से साफ हो गई; दिल्ली, मुंबई और चेन्नै जैसे शहरों में इतना साफ आसमान आपको बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिलता था। उस वक्त रात में आप आसमान में टिमटिमाते तारों को गिनने की कोशिश कर सकते थे जैसा कि बचपन में किया करते थे। जालंधर से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं स्पष्ट दिखाई देने लग गई थीं। जिस हवा को साफ रखने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्मॉग टॉवर लगाने पड़े, वही हवा इस वक्त बिना किसी खास मेहनत के साफ–सुथरी हो चुकी थी।

पारिवारिक प्रेम एवं अपनत्व की भावना

लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही थी। उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत थी जो परिवार से दूर किसी शहर में अकेले रहते थे, लेकिन जो लोग परिवार के साथ रह रहे थे उनकी तो बल्ले–बल्ले थी। ऑफिस जाना, रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाना, वापस लौटने पर थकान से चूर होना जैसी कई समस्याएं थीं जिनकी वजह से लोग परिवार को चाहकर भी समय नहीं दे पाते थे। अब लोग घरों में थे, कुछ लोगों की छुट्टी थी तो कुछ लोग घर से कार्य कर रहे थे। घर में होने की वजह से अब वह परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे थे। माता–पिता व बच्चों के साथ बैठकर टीवी पर रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिकों का आनंद ले रहे थे। आम दिनों में जो वक्त लोगों को बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता था वह वक्त इस समय लोगों के हाथों में था।

दूसरों की मदद के लिए भावना

आम दिनों में काम और अन्य व्यस्तताओं के चलते लोग अपने आस–पास के बाकी लोगों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी लोग एक–दूसरे का हाल–चाल अवश्य ले रहे थे, उन्हें अपने आस–पास के लोगों की समस्याएं भी दिख रहीं थी। अच्छी बात ये थी कि लोग न केवल इन समस्याओं के देख रहे थे बल्कि आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे थे। लोग इस बात का ध्यान रख रहे थे कि हमारे आस–पास कोई भूखा न सोए। इससे एक बात तो साफ थी कि लोगों में मदद की इच्छा तो पहले से है लेकिन वक्त की कमी के कारण वे यह कर नहीं पाते थे। जाति, धर्म, स्थान संबंधी सारे भेदभावों का मिटाते हुए लोगों ने मानवता का धर्म निभाना उचित समझा।

इस पैटर्न को बरकरार रखा जाए तो भविष्य में भी होगा फायदा

यह तो पहले से ही स्पष्ट था कि पूरी जिंदगी लॉकडाउन में नहीं बिताई जा सकती। अर्थव्यवस्था को वापस रफ्तार देने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलना ही पड़ा। एक बार जब यह खत्म हुआ, जिंदगी वापस पहले की तरह पटरी पर दौड़ने लगी तो जो फायदे हमें नजर आए थे,

इनमें व्यापक स्तर पर बदलाव आया। एक बार फिर से सभी उस आपाधापी में शामिल गए जिस पर ब्रेक लगने के बाद हम अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन ने इतना तो समझा ही दिया था कि ये सब वाकई में इतना मुश्किल नहीं है जितना हम मानते हैं। कुल मिलाकर लॉकडाउन के दौरान जो सकारात्मक बदलाव हमने देखे और महसूस किए, अगर इसका आधा हिस्सा भी हम आगे बरकरार रख पाते हैं तो इसका फायदा हमें भविष्य में देखने को जरूर मिलेगा। आगे भी अगर हम गैर–जरूरी चीजों पर नियंत्रण रख पाते हैं तो पर्यावरण के स्तर पर जिन समस्याओं का हमें आए दिन सामना करना पड़ता है, उनसे निश्चित तौर पर बचा जा सकता है।

उपसंहार

भारत सरकार के सतत एवं अथक प्रयासों से आज देश में कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को पूरा करते हुए कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण में देश में निर्मित दो टीकों को मंजूरी दी गई। 16 जनवरी 2021 से शुरु हुए टीकाकरण के इस महाअभियान में 21 दिनों के ही भीतर देशभर में 50 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। भारत की टीका लगाने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। कोरोना संबंधी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना से ठीक होने की दर भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा (97 प्रतिशत से अधिक) हो गई है और कोविड–19 से मृत्यु दर लगभग 1.43 प्रतिशत रह गई है। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की जंग का लोहा मान रही है। भारत इस महामारी की वैक्सीन को दुनिया के अनेक देशों को मुफ्त में भी उपलब्ध करा रहा है। साथ ही, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती हैं। आशा है कि सरकार कोरोना महामारी से सबक लेते हुए लचर स्वास्थ्य अवसरंचना को विश्व–स्तरीय बनाने का प्रयास करेगी; और आम जनता अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेगी, बेवजह यात्रा करने से बचेगी तथा 'दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी' के स्लोगन पर अमल करना जारी रखेगी।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ऐ जिंदगी बता, ये समय का कौन सा कहर है!

रुचिका चौहान*

सूनसान राहें सुनसान सफर है
ऐ जिंदगी बता, ये समय का कौन सा कहर है।

एक घर, देश, गाँव नहीं, एक शहर नहीं
पूरी दुनिया में ये कैसी शामों–सहर है,
चारों तरफ अंजान खौफ है,
दूर–दूर तक कोई नहीं आता नजर है,
ऐ जिंदगी बता, ये समय का कौन सा कहर है।

कौन जाने! ये सब क्या है, किस बात का असर है,
स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी बंद हैं, और
साथ–साथ सभी लोग अपने घरो में नजरबंद हैं।
क्या पता इस खूबसूरत दुनिया पर ये किसकी बुरी नजर है,
ऐ जिंदगी बता, ये समय का कौन सा कहर है।

आजकल नमस्कार छोड़,
हैलो हाय और हाथ मिलाने का चलन है,
सभी को घर के शुद्ध शाकाहारी भोजन को छोड़,
माँस–मदिरा का सेवन पसंद है,
अरु पसंद है जंक फूड, जो कि जहर है,
ऐ जिंदगी बता, ये समय का कौन सा कहर है।

मानें या न मानें,
ये सब हमारी गलतियो का ही असर है,
क्योंकि अपनी संस्कृति और परंपरा को छोड़
हमारे कदम पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हैं,
ऐ जिंदगी बता, ये समय का कौन सा कहर है।
ऐ जिंदगी बता, ये समय का कौन सा कहर है।

* *एडमिन एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

जीना इसी का नाम है: पद्मश्री लक्ष्मी बरूआ*

ऐतिहासिक रूप से जोरहाट को अहोम राजाओं की आखिरी राजधानी बताया जाता है। असम का काफी खूबसूरत जिला है यह। इसी के एक गांव में लक्ष्मी बरुआ 1949 में पैदा हुईं। मगर उनके जन्म के साथ एक त्रासदी भी हमेशा के लिए जुड़ी। उन्हें इस दुनिया में लाकर माँ खुद संसार छोड़ गई थीं। बिन माँ की बच्ची को पिता और परिजनों ने भरपूर दुलार और स्नेह दिया, मगर माँ की बराबरी भला कौन कर सकता है! लक्ष्मी के पिता बेटी की हर जरूरत का ख्याल रखते। उनकी पूरी दुनिया जैसे लक्ष्मी के इर्द–गिर्द सिमट आई थी, मगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। होश संभालते ही हालात ने लक्ष्मी को अपनी ख्वाहिशों से समझौता करना सिखा दिया। वह पढ़ने में अच्छी थीं, इसलिए पिता ने शिक्षा के सिलसिले को हर सूरत में कायम रखा। लेकिन कई चीजें किसी के वश में नहीं होतीं। जिंदगी के जिस मोड़ पर लक्ष्मी को अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी पड़ाव पर सिर से उनका साया उठ गया। पिता की आकस्मिक मौत ने लक्ष्मी की आंखों से सारे सपने छीन लिए थे। परिजनों के लिए उनका भरण–पोषण और विवाह ही अब सबसे बड़ा मसला था। जाहिर है, लक्ष्मी का कॉलेज छूटना ही था। वह 1969 का साल था।

परिजनों के आर्थिक हालात भी कोई बहुत खुशगवार नहीं थे, मगर उन्होंने लक्ष्मी को उनके हाल पर नहीं छोड़ा। वे उनके साथ खड़े रहे। इन विकट स्थितियों ने लक्ष्मी को इंसान, खासकर औरतों के लिए आर्थिक सुरक्षा की अहमियत का ही एहसास नहीं कराया, बल्कि उन्हें भीतर से मजबूत भी बनाया। सन 1973 में प्रभात बरुआ से शादी के बाद लक्ष्मी की जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे। लक्ष्मी के लिए तो वह सुलझे हुए जीवनसाथी और मेंटोर, दोनों साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि 1980 में जब वह जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुईं, तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया। जाहिर है, इतना सच्चा और समझदार हमसफर हो, तो मंजिल कहां थकाती है! लक्ष्मी को 'डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक' में अकाउंट मैनेजर की नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान कुछ चीजें थीं, जो उन्हें भीतर तक कचोट जाती थीं। वह अक्सर देखतीं कि आस–पास के गांवों की गरीब, अशिक्षित औरतें, चाय बागानों में मजदूरी करने वाली महिलाएं घंटों कर्ज के लिए कतार में खामोश खड़ी रहती थीं, और जब काउंटर पर पहुंचतीं, तो उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाता, क्योंकि उनके पास कोई जरूरी दस्तावेज नहीं होता। लाचार औरतों का गिड़गिड़ाना, उनके आंसू लक्ष्मी के दिल पर गिरते थे। किसी को दुखद विवाह से मुक्ति के लिए मदद की दरकार होती, तो किसी को अपने बच्चों की फीस चुकानी होती। मगर लक्ष्मी बैंक के नियम–कायदे से बंधी हुई थीं, वह चाहकर भी उनकी कुछ मदद नहीं कर पा रही थीं।

इन गरीब, अशिक्षित औरतों की पीड़ा लक्ष्मी को प्रेरित कर रही थी कि वह उनके लिए कुछ करें। आखिरकार 1983 में उन्होंने जोरहाट में ही एक महिला समिति बनाई। इस समिति के जरिए काम करते हुए उन्हें आर्थिक असुरक्षा के नए–नए रूपों का पता चला। आसपास के चाय बागानों में काम करने वाली औरतों के पास भी अपनी कोई बचत नहीं थी, क्योंकि उनके पति या घरवाले सारी रकम उनसे झटक लेते थे, और जब कभी उन्हें कोई जरूरत पड़ती, तब उनके पास ऊंची दर पर स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि दस्तावेजों के अभाव में बैंक उन्हें कर्ज दे नहीं सकते थे। इन महिलाओं की मदद के इरादे से उन्होंने 1990 में **कनकलता महिला कोऑपरेटिव बैंक** शुरू किया। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें आठ वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। अथॉरिटी की कम से कम 1,000 सदस्य और आठ लाख रुपये की पूंजी की कड़ी शर्त थी। पर इरादे नेक हों, तो कारवां बन ही जाता है। घरेलू स्त्रियों ने अपनी जमा–पूंजी निकालकर इस कोऑपरेटिव बैंक के शेयर खरीदे। मई 1998 में लक्ष्मी के कोऑपरेटिव बैंक का पंजीकरण हो गया और अगले ही साल उन्होंने 8,45,000 रुपये की पूंजी और 1,420 सदस्य भी जुटा लिए। फिर फरवरी 2000 में वह दिन भी आया, जब भारतीय रिजर्व बैंक का 'कमर्शियल बैंकिंग' संबंधी लाइसेंस लक्ष्मी के हाथों में था। पिछले दो दशकों से सिर्फ महिला कर्मियों द्वारा संचालित इस बैंक में 45 हजार से अधिक खाताधारक हैं, जिनमें से ज्यादातर औरतें हैं। अब तक 8,000 से अधिक महिलाएं और 1,200 महिला स्वयंसेवी समूह इससे लाभ उठा चुके हैं। पिछले साल बैंक का सालाना कारोबार करीब 16 करोड़ रुपये और शुद्ध मुनाफा 30 लाख का रहा। हजारों गरीब महिलाओं की जिंदगी को सहारा देने वाली लक्ष्मी को देश ने इस वर्ष **पद्मश्री** से सम्मानित किया है।

** प्रसिद्ध उद्यमी एवं समाजसेवी, साभार: दैनिक हिंदुस्तान*

भारतीय चिकित्सा एवं संस्कृति के आगे कोरोना नतमस्तक

राजेश कुमार कर्ण*

अब तक समूची दुनिया में छह करोड़ से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिनमें से लगभग 15 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खुद हमारे अपने देश में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा एक करोड़ की भयावह गिनती पार कर चुका है तथा इनमें से डेढ़ लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिक्कत अकेले कोरोना के मारों की नहीं है, पहले से अन्य रोगों से जूझ रहे लोगों को भी इसका शिकार बनना पड़ रहा है। इन दिनों में जितने लोग कोरोना से मरे, उससे कहीं ज्यादा लोगों को अन्य व्याधियां लील गईं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें, सबने मिलकर, जो हो सका, किया। संकट के ऐसे विरल वक्त में सरकारों के साथ समाज का सामंजस्य बहुत जरूरी है। इस महामारी से जूझने के लिए हमें खुद को बदलना होगा, पर क्या ऐसा हो रहा है? तीज–त्योहार, शादी–ब्याह और सामाजिक रस्म–ओ–रिवाज में अक्सर बचाव के तौर–तरीकों को दरकिनार कर दिया जाता है।

कोविड–19 के संक्रमण काल ने हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित किया है। स्वास्थ्य के लिए ये समय हमें यह सबक दे रहा है कि हमें किस तरह से इस समय को महामारियों से बचकर गुजारना है क्योंकि इस प्रकार के संक्रमण भविष्य में भी आ सकते हैं। इससे बचाव के लिए हमें अपने अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा तथा अच्छी जीवनशैली अपनानी होगी। प्राचीन काल से आयुर्वेद में खानपान में ही परिवर्तन द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। जनसंख्या के लिहाज से दुनिया की 18% आबादी वाले भारत ने बाकी देशों की तुलना में अपनी परंपरागत या मूल चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद के बल पर न केवल महामारी के संकट से लंबे काल तक निपटा बल्कि इसकी बदौलत बाकी देशों की तुलना में औसत मृत्यु दर डेढ़ प्रतिशत से भी कम (1.44) रखने में कामयाब रहा। यह किसी खुशी से कम नहीं कि वैश्विक सक्रिय मामलों में भारत की हिस्सेदारी अब 0.60% ही बची है। दुनिया में हर 167 कोरोना पीड़ितों में भारतीयों की संख्या सिर्फ एक है। भारत ने यह साबित किया कि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने पर हर तरह के वायरस से बखूबी निपटा जा सकता है। कोरोना से निपटने में भारतीय चिकित्सा पद्धति के सफल प्रयासों की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है।

वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। योग और आयुष उनके एजेंडे में थे। सबसे पहले उन्होंने योग को न केवल देश बल्कि दुनिया में व्यवहार के स्तर पर नए सिरे से पहचान दिलाने में सफलता प्राप्त की। सच ही कहा जाता है कि योग के पीछे–पीछे आयुर्वेद अपने आप चला आता है। योग दिवस के एलान के डेढ़ महीने बाद भारत सरकार ने आयुष विभाग का दायरा बढ़ाकर उसे आयुष मंत्रालय का दर्जा दिया। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल हैं। इस मंत्रालय ने कोरोना संकट से निपटने में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित किया और उसने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना। इस केन्द्र के स्थापित होने के बाद विश्व में भारत की चिकित्सा पद्धति को नई पहचान मिलेगी।

विश्व की एक विशाल आबादी भारत में रहती है और विकसित देशों की तुलना में यहां स्वास्थ्य का ढांचा भी उतना विकसित नहीं है। ऐसे में कई विशेषज्ञ यह आशंका जता रहे थे कि भारत में करोड़ों व्यक्ति कोरोना संक्रमण के दायरे में होंगे और कई लाख मात के शिकार होंगे। इन आशंकाओं ने देश को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन मोदीजी ने इस संकट की गंभीरता को शायद पहले से ही भांप लिया था। तभी उन्होंने सख्त लॉकडाउन के एलान के साथ कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए समय–समय पर जरूरी गाइडलांइस जारी किया। मोदीजी के पहल पर आयुष मंत्रालय ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले नुस्खों और औषधियों का प्रचार किया। किसी महामारी से निपटने में सरकारी तौर पर पहली बार आयुर्वेद और योग को इलाज के लिए अधिकारित रूप से मान्यता दी गई। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल के लिए एक प्रोटोकॉल भी जारी किया। श्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री, यूपी ने ठीक ही लिखा है कि कोविड–19 के संक्रमण में जब सारा विश्व उपयुक्त चिकित्सा की तलाश में था और शारीरिक दूरी तथा मास्क के अलावा कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था तब भारतीय चिकित्सा पद्धति की ओर लौटते हुए आयुर्वेद के आयुष क्वाथ या काढ़ा को लोगों ने आजमाया और फायदेमंद पाया। विभिन्न संस्थानों के अनुसंधान से यह पता चला है कि जिन लोगों ने काढ़े का प्रयोग किया वे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के कारण कोरोना संक्रमण से बचे रहे। अपने औषधीय गुणों के कारण काढ़े में प्रयुक्त सभी

* *आशुलिपिक सहायक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

द्रव्य शरीर में विशेष प्रभाव डालते हैं जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। यह विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ और रोग प्रतिरोधी बनाता है। इसको विशेषज्ञ की सलाह से कोविड–19 के अलावा सामान्य सर्दी व जुकाम से बचाव के लिए भी लिया जा सकता है।

कोरोना संक्रमण से उपजे संकट के कारण परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने के लिए नए–नए शोध होने लगे हैं ताकि भविष्य के संकट का मुकाबला करने की तैयारी रखी जा सके। इस दिशा में मोदीजी ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 13 नवम्बर, 2020 को देश को दो आयुर्वेद संस्थान समर्पित किए– आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर; और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर। दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने शोध में पाया है कि आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण औषधि अश्वगंधा में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिनमें अद्भुत प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। संक्रमण काल में लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर आयुष मंत्रालय आयुर्वेद दवाओं को लेकर कई स्तर पर लगातार सर्वे भी करता रहा। मसलन दिल्ली पुलिस के लगभग 80 हजार जवानों को आयुष मंत्रालय की ओर से आयुष किट दी गई, उनमें कोरोना संक्रमण नहीं के बराबर हुआ, लेकिन इसके मुकाबले किट न पाने वाले जवानों में संक्रमण आठ गुणा अधिक था। इसके साथ आयुष मंत्रालय ने लगभग डेढ़ लाख लोगों पर एक सर्वे और किया जो किसी न किसी रूप में अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई न कोई आयुर्वेदिक औषधि का सेवन कर रहे थे, इससे उनका बचाव हुआ और अगर कोरोना संक्रमण हुआ भी तो उसकी तीव्रता बहुत कम थी। विश्व के अलग–अलग देशों ने कोरोना पर लगाम लगाने के अनेक प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन उनके मुकाबले भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपेक्षा से कहीं ज्यादा सफल रही।

कोरोना काल में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेद के उत्पादों की बिक्री करीब छह गुना बढ़ गई है। इस दौरान लगभग 200 नए उत्पाद बाजार में आए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश है। संक्रमण काल में पूरे साल इसकी मांग कम नहीं हुई। इसी तरह गिलोय, तुलसी, हल्दी और अश्वगंधा ने भी मांग के नित नए रिकॉर्ड कायम किए। यह मानव स्वभाव है कि हम अपने आसपास की चीजों को भूलकर व्यर्थ में दूसरी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे घर में मौजूद अधिसंख्य चीजें ऐसी होती हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी यह प्रमाणित हो चुका है कि हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीइंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट वाले गुण मौजूद है। हल्दी वाला दूध प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिसकी वर्तमान कोविड संक्रमणकाल में बहुत आवश्यकता है क्योंकि सेहत के लिहाज से कोविड संक्रमण का खतरा हर उम्र के लोगों में बना हुआ है। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है और हल्दी के रोग प्रतिरोधक गुणों के कारण उम्र जनित अन्य बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है।

जूस का मतलब अभी तक केवल फ्रूट जूस होता था, लेकिन अब उनका स्थान आंवला, गिलोय, एलोवेरा और तुलसी जैसे जूस ने ले लिया है। इसके अलावा काढ़ा भी लोगों के जुबान पर ऐसा चढ़ा कि कोरोना संक्रमण काल में राष्ट्रीय पेय बन गया। इससे लोग न केवल संक्रमण से बचे, बल्कि मौसमी बुखार, जुकाम और सर्दी से भी बचे। इलाज से बेहतर रोकथाम है और यह आयुर्वेद का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह केवल विकल्प नहीं, बल्कि चिकित्सा का मुख्य आधार है जो मानवजाति को प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के वायरस से बचा सकता है।

इसके अलावा मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना सबसे कारगर उपाय होगा। पूर्वी एशिया के देशों के लोग पहले से ही मास्क पहनने के रिवाज का पालन कर रहे हैं। भले ही उन्हें सामान्य रूप से जुकाम हुआ हो, लेकिन वे मास्क पहनते हैं और इसलिए यह महामारी कोरिया से ताइवान और यहां तक कि बहुत कम विकसित वियतनाम में ज्यादा नहीं फैली। भारत सहित ज्यादातर देशों में स्वास्थ्य को निजी मामला मान लिया जाता है जबकि यह विषय पूरे समाज–देश से जुड़ा है। क्या जब कोई बीमार पड़ता है तो अनगिनत लोगों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है? एक बीमार आदमी भी सबके तन, मन और धन को नुकसान पहुंचा सकता है। कोरोना ने हमें दिखाया है कि हम सभी एक–दूसरे से कितने जुड़े हैं। अगर कोई चीन के मीट मार्केट में कुछ खा रहा है तो उससे पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इस वायरस का प्रभाव नहीं हुआ हो। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हममें से कोई भी एक–दूसरे से पृथक नहीं है। जब शुरूआत में लॉकडाउन हुआ तब पूरा विश्व जैसे रुक–सा गया था। उस समय समूची दुनिया की वायु शुद्ध हो गई थी। जल

स्वच्छ हो गया था। कार्बन के कण घट गए थे। धरती माता मुस्कुराने लगी थीं। इससे पूरे विश्व का पर्यावरण पवित्र हो गया था। लॉकडाउन के दौरान हम सभी अंदर थे, परंतु पृथ्वी उस समय खिल रही थी। प्रकृति ने कोरोना के माध्यम से यह भी एक बड़ी शिक्षा दी है कि जिस तरह से हम रह रहे हैं वह जीने का सतत और सुरक्षित तरीका नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम बीमार हों तो हमारी धरती माता स्वस्थ रहें और जब हम स्वस्थ हों तो हमारी धरती माता बीमार रहें। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, बाजार खुले, वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ तो वापस पर्यावरण प्रदूषित होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में कोरोना स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इमरजेंसी है परंतु एक अवसर भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार 'जब कोरोना आया, तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थीं। मुझे याद है पिछले साल फरवरी–मार्च–अप्रैल में दुनिया के कई नामी विशेषज्ञ और बड़ी–बड़ी संस्थाओं ने क्या–क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी, किसी ने 700–800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े–बड़े और आधुनिक स्वास्थ्य की बुनियादी ढ़ांचें वाले देशों का उस समय जो हाल था, वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत अग्रसक्रिय, जनभागीदारी की दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता रहा। सरकार ने कोविड से संबंधित स्वास्थ्य की मजबूत बुनियादी ढ़ांचा विकसित करने पर जोर लगाया, अपने मानव संसाधन को कोरोना से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया, संक्रमण के परीक्षण एवं मरीजों के खोज के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन–आंदोलन में बदल दिया।' चुनौती के समय भी धैर्य नहीं खोना और संतुलन बनाए रखना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इस कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से चिकित्सकों, नर्सों, सुरक्षा और सफाई कर्मचारियों सहित समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया उसके लिए उन्हें नमन करना चाहिए। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। बीमारियों से बचने के लिए सभी को मिलकर आगे आना होगा, तभी हमारी गतिशीलता बढ़ेगी और हम ज्यादा सेहतमंद रहेंगे। आज शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए शारीरिक गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

देश में सबके लिए सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता का मुद्दा लंबे समय से बना हुआ है। चिकित्सकों की कमी देश में एक प्रभावी स्वास्थ्य तंत्र की राह में बड़ी बाधा है। ऐसे में मोदी सरकार ने डेंटल और आयुष चिकित्सकों को एक ब्रिज कोर्स के साथ एलोपैथिक परामर्श का रास्ता खोला है। आजकल की भागमभाग भरी जीवन शैली में शारीरिक रुग्णता ने एलोपैथी दवाओं पर निर्भरता को अत्यधिक बढ़ाने का काम किया है। आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की ओर से 20 नवंबर, 2020 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयुर्वेद में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर भी हड्डियों के ऑपरेशन के साथ आंख, नाक, कान और गले की सर्जरी कर सकेंगे। इसके तहत आयुष डॉक्टर को कुल 58 तरह की सर्जरी की अनुमति दी गई है। सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आएगा।

दुनिया में अंग्रेजी दवाएं या एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का इतिहास ढाई सौ साल से भी कम का है जबकि आयुर्वेद का इतिहास 2500 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। सुश्रुत संहिता में शल्य और शालक्य क्रियाओं का वर्णन है। आधुनिक एलोपैथिक विज्ञान भी महर्षि सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक मानता है। भारत में हीलिंग के काम में बहुत से आदिवासी और घुमंतू समुदाय सदियों से जुड़े हैं। ये लोग अस्पताल और मरीज के बीच की खाई को भरते हैं। ये लोग पेड़–पौधों, जड़ी–बूटियों से इलाज करते हैं जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जबकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं।

अंग्रेजी दवाओं पर निर्भरता घटाने के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में फिजियोथेरेपी विकल्प अपनाने के अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि यह एक स्वतंत्र प्रणाली का आकार ले सके। भारतीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के बुनियादी अनुप्रयोग भी व्यायाम और शारीरिक संचेतना पर आधारित हैं। मोदी सरकार ने होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और नर्सिंग सेक्टर की आधुनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अद्यतन बनाने के निर्णय लिए हैं जो प्रशंसनीय है। आईआईटी दिल्ली में नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यु एजुकेशन इन इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक स्टडी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान योग करने वाले लोग तनाव और डिप्रेशन से काफी कम प्रभावित हुए थे।

भारतीय चिकित्सा के साथ–साथ भारतीय संस्कृति, रीति–रिवाज, रहन–सहन, खानपान और परंपराओं के आगे भी कोरोना नतमस्तक रहा और भयावह रूप नहीं ले सका। विदेश में कोरोना से लाखों मौतें हुईं, जबकि वहां के मुकाबले भारत में हालात सामान्य रहे। ये सच ब्रिटेन के कंसल्टेंट जॉन हॉकिंस पब्लिक हेल्थ स्कूल की पहल पर लखनऊ की किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से किए गए शोध में सामने आया है जिसे इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ में प्रकाशित किया गया है। भारतीय परंपरा में खाने से पहले हाथ व मुंह धोने, शौच व लघुशंका के बाद हाथ धोने की अच्छी आदतें हैं। अभिवादन का तरीका प्रणाम या नमस्ते है, जिससे शारीरिक दूरी का पालन हुआ जबकि विदेश में एक–दूसरे से मिलने पर लोग गले मिलते हैं या चुंबन करते हैं या हाथ मिलाते हैं जो वहां संक्रमण के प्रसार का बड़ा कारण बना। भारतीय परंपरा में निधन के बाद 13 दिन का श्राद्ध कर्म होता है। इस दौरान दाह संस्कार करने वाला व्यक्ति पृथकवास (क्वारंटाइन) यानी एकदम अलग रहता है। दाह संस्कार के बाद लौटकर लोग स्नान करते हैं। कोरोना काल में इससे भी संक्रमण फैलने से रूका। किसी भी तरह के संक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए जलाना स्ट्रेलाइजेशन का बेहतर तरीका माना जाता है। सनातन धर्म में आदिकाल से ही दाह संस्कार (जलाने) की परंपरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन भी भारतीय संस्कृति से प्रेरित है, इसीलिए विदेश में रहने वाले भारतीय भी कोरोना से कम प्रभावित हुए। इस अध्ययन में गीता के श्लोक का भी जिक्र है जो उसे प्रमाणित करते हैं। भारतीय खानपान में तुलसी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, गुड़ अदरक, लहसुन, प्याज, तरह–तरह की दालें और मौसमी फल एवं सब्जियां खाई जाती हैं। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होने का हमें फायदा मिला।

इंसानी सभ्यता ने हमेशा संकट के अंधियारे दिनों में नए उजालों की खोज की है। उम्मीद है, हम अपनी लड़खड़ाहटों पर काबू पाकर आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। कोरोना वायरस ने इंसानों के साथ लुकाछिपी का जो खेल शुरू किया है उसका शीघ्र निपटारा मुश्किल है। भले ही ऐसा लगे कि अब तो कई सारे टीके आ गए हैं और नए मामलों की संख्या भी कम हो गई है, पर इसके पलटवार की संभावना अभी ज्यों की त्यों है। इसीलिए इस बीमारी का सफाया होने तक न तो इससे लड़ाई में कोई ढील बरती जा सकती है, न ही बचाव से जुड़ी सावधानियां कम करने का जोखिम उठाया जा सकता है। कई देशों में यह बीमारी कई बार अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अगर मौत के आंकड़े की तुलना करें बाकी देशों में मौतों में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। दुनिया में हर जगह

इस महामारी की एक लहर मंद पड़ने के बाद दूसरी लहर दर्ज की गई है, जिससे हम फिलहाल बचे हुए हैं। भारत में महामारी सितंबर 2020 में अपने चरम पर थी, जब रोज करीब एक लाख तक नए केस आने लगे थे किंतु अब यह घटकर लगभग दस हजार हो गई है। हालिया अध्ययनों के आधार पर विशेषज्ञ महामारी में आई इस कमी का श्रेय देशवासियों के शरीर में बड़े पैमाने पर जन्मी एंटीबॉडीज को देते हैं। उनके मुताबिक अलग–अलग इलाकों में 20 से 40 प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उनके अंदर कोरोना का प्रतिरोध भी विकसित हो चुका है। तीसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वे के मुताबिक, देश के कुल 21.5% लोगों में ही अब तक कोरोना के खिलाफ एंटीबाडीज की मौजूदगी पाई गई है। इसलिए शेष लोगों को संक्रमण होने का खतरा है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इतनी इम्यूनिटी के आधार पर दूसरी लहर की संभावना खारिज नहीं की जा सकती है। इसलिए भारत में हाल के दौर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी के बावजूद देश की बड़ी आबादी के अब भी इसकी चपेट में आने का खतरा बरकरार है। इसलिए जांच, निगरानी और उपचार के जो निर्देश हैं, उनमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए। हर्ड इम्युनिटी के लिए 80% लोगों में एंटीबाडी विकसित होना जरूरी है, लेकिन वायरस में म्युटेशन के कारण ठीक हुए लोगों में दोबारा संक्रमण का खतरा है।

बेशक हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा तथा इसे सतत बनाए रखना होगा। इसमें टीकाकरण के साथ–साथ योग, आयुर्वेद की विशेष भूमिका रहेगी। योग की तरह अब आयुर्वेद भी वैश्विक ब्रांड बनेगा। सरकार ने बड़े पैमाने पर इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अक्तूबर 2021 में अहमदाबाद में आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अहमदाबाद को खास उद्देश्य से चुना गया है। जिस तरह कान से फिल्म फेस्टिवल और दावोस से विश्व आर्थिक मंच का नाम जुड़ा हुआ है, उसी तरह से अहमदाबाद को आयुर्वेद से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अहमदाबाद में हर साल आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, जहां दुनिया के सामने भारत स्वास्थ्य और खासकर जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं के इलाज में अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता का प्रदर्शन करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद को ब्रांड के रूप में दुनिया में स्थापित करने के लिए विशेष लोगो और कलर कोड भी तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ब्रांड को स्थापित करने में लोगो और कलर कोड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान, उत्पादन व सप्लाई चेन खड़ा करने के लिए धन की कमी को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके तहत इन्वेस्ट इंडिया के तहत आयुर्वेद के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

कोविड–19 के खिलाफ भारत की जंग अपने अंजाम तक पहुंचने लगी है। अब कुल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या डेढ़ लाख से भी कम है। मरीजों के ठीक होने की दर भी 97% हो गई है जबकि मृत्यु दर 1.44% है। इसका अर्थ है कि हमारी तैयारी अच्छी रही और इससे होने वाली जीवन की हानि को थामने में हम बहुत हद तक सफल रहे हैं। हम बेशक 'न्यू नॉर्मल' की ओर बढ़ गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि महामारी खत्म हो गई है। वैश्विक स्तर पर कोरोना की स्थिति आज भी गंभीर बनी हुई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि कोई संक्रामक बीमारी पांव पसार रहा है, तो अन्य देशों पर खतरा बराबर बना रहता है। ज्यादा बड़ी चिंता तब उभरती है, जब विदेश से कोरोना का कोई नया स्ट्रेन या प्रकार भारत पहुंचता है। कोरोना के नए स्ट्रेन से भी डरे नहीं बल्कि डटे रहें। ये जो सुख–दुख के पलड़े हैं, ये ऐसे ही उतरते–चढ़ते रहते हैं, यह जरूरी है कि हम खुद को हर स्थिति के लिए तैयार रखें। भयभीत न हों। अपना हौसला बनाए रखें। डॉ. कुँवर बेचैन का गीत सबके लिए जीवन का मंत्र है– 'होके मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए।'

हमें टीके से बचने–डरने की जरूरत नहीं है। टीका हमें जरूर लगवाना चाहिए। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और वैक्सीन लेने खुद आगे बढ़ें। कोरोना से निपटने के लिए दो स्वदेशी टीकों का निर्माण कर भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया, जिन्होंने टीके का निर्माण किया है। इससे भारतीय वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को भी हासिल किया जिस पर हरेक भारतीय को गर्व होना चाहिए। भारत न केवल टीका बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बना, बल्कि इस मामले में दूसरे देशों को भी मददगार बनेगा। हर कोई अपना ध्यान रखे तथा दूसरों का भी। साथ ही, सावधानियां बरतते हुए हमें नए तरीके से कामकाज के उपायों पर विचार करना ही होगा, क्योंकि कोरोना कोई अंतिम महामारी तो नहीं। इसे अगली महामारी के दंश से बचने के लिए चुनौतीपूर्ण चेतावनी मानने में ज्यादा भलाई है।

इस दिक्कत भरे दौर में छोटे कस्बे और गांव उम्मीद की किरण बनते नजर आ रहे हैं। यहां की शुद्ध हवा, पानी, खानपान के सेवन से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। यहां शोर–शराबा नहीं है और न ही बेमतलब के लोग या कीट–पतंगे परेशान करते हैं। इंटरनेट के विस्तार ने कामकाज की वैकल्पिक राहें खोल दी हैं। आने वाले वर्षों में बड़े शहरों के विशाल दफ्तरों में कार्यरत लोग यदि छोटे शहरों और गांवों की ओर रुख करते नजर आएं, तो कोई आश्चर्य नहीं।

यह सही है कि हमने कोरोना महामारी के विरुद्ध योजनाबद्ध लड़ाई लड़ी है, फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा सुरक्षा उपाय बताए गए हैं, उन पर जरूर अमल जारी रखना होगा। जैसे, मास्क का इस्तेमाल, दो गज की शारीरिक दूरी का पालन, नियमित तौर पर हाथ धोना, कंटेनमेंट के उपायों पर गंभीरता से अमल, नए स्ट्रेन की प्रभावी निगरानी जैसे एहतियाती उपायों को बिना थके करते रहना होगा। साथ ही प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने भोजन में प्रोटीन सहित विटामिन बी, सी और जिंक वाली चीजें शामिल करें। बेशक सतर्कता में ही बचाव है तथा सफाई भी दवाई है। दुनिया देख रही है, भारत कोरोना के खिलाफ एक मिसाल बनकर उभर रहा है।

नियति का खेल

बीरेंद्र सिंह रावत*

सूची लेकर पहुँचे यमराज, किन्हीं कंप्यूटर ऑपरेटर कुरु के घर,
बोले समय समाप्त, पहला नंबर है, बच्चा अब तू मेरे साथ चल।
तेज दिमाग कुरु विनम्रता से बोला, कि अतिथि होते हैं भगवान,
पहली बार हमारे घर पधारे हैं आप, मुझे भी कर लेने दो सम्मान।
नशीला ठंडा पेय पिला हाथ में सूची लेकर, कुरु ने ली इक गहरी सांस,
पहले को आखिरी कर देता हूँ, कुछ दिन तो दूर रहेगी यम की फांस।
होश में आने पर यम बोले, मेहमाननवाजी से खुश हूँ कुरुजी,
एक महीने की मोहल्लत दे आपको, नीचे से ले जाना करता हूँ शुरुजी।

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

भारतीय
श्रम पुस्तिका

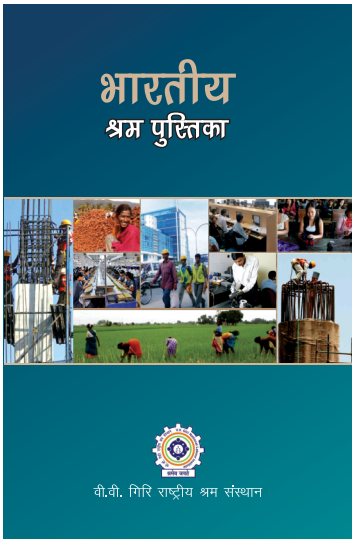

भारत विकास प्रक्रिया के एक बहुत महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। विगत कुछ वर्षों से हमारा देश विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक विकास के इन लाभों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, सभी के लिए गुणवत्ता वाला रोज़गार और श्रम मुद्दों का हल सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह पहलू जनता की आजीविका से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ है। श्रम के संबंध में देश अनेक और विविध प्रश्नों का सामना कर रहा है, जिनका विस्तार रोज़गार और अल्प–रोज़गार के बारे में सरोकारों से लेकर बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा तक है। भारतीय श्रम मुद्दों की व्यापकता और विस्तार पर विचार करते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि इन मुद्दों का हल खोजने की प्रक्रिया में, बड़ी संख्या में सामाजिक साझेदारों तथा हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल किया जाए। हितधारकों की रचनात्मक सहभागिता तभी संभव है, जब कि श्रम से संबंधित सूचना और विचारों को सुलभ बनाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें भारत में श्रम के परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसका आशय यह है कि सुसंगत सूचनाएं एक सरल और बोधगम्य तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे इन्हें समाज के व्यापक तबके तक पहुंचयोग्य बनाया जा सके। इस पुस्तिका का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान

एक कदम स्वच्छता की ओर

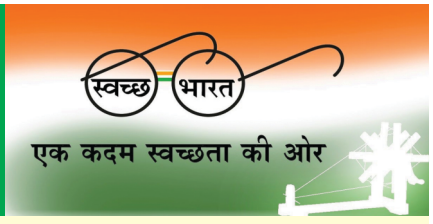

स्वच्छ, साफ–सुथरा एवं गरिमामय बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती।

आईये, जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनाने हेतु मिलकर काम करें।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
नौएडा

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइटः www.vvgnli.gov.in